

वित्त विधेयक, 2007

प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

प्रत्यक्ष-करों के क्षेत्र में वित्त विधेयक, 2007 के उपबंध निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं:—

- (i) निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए कर के लिए दायी आय पर, आय कर की दरों का विहित किया जाना; उन दरों का विहित किया जाना, जिन पर वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है), लाटरी या वर्ग पहली से जीत की रकम, घुड़दौड़ से जीत की रकम, ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की ऐसी कटौती या संग्रहण के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने या कर का संदाय करने तथा आय-कर प्रभासित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।
- (ii) अवसंरचनात्मक विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, कर आधार को व्यापक बनाने, कर-अपवंचन और परिवर्जन को रोकने, कतिपय उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण के लिए प्रोत्साहनों का उपबंध करने और पुनरीक्षित परिनिर्धारण स्कीम का उपबंध करने की दृष्टि से आय-कर का संशोधन।
- (iii) अन्य बातों के साथ, पुनरीक्षित परिनिर्धारण स्कीम के लिए उपबंध करने के लिए धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन।
- (iv) बैंककारी नकद संव्यवहार कर के उपबंधों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन।

2. प्रत्यक्ष करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों के सार को निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है:—

आय-कर

आय-कर की दरें

I निर्धारण वर्ष 2007-08 की बाबत कर के लिए दायी आय के संबंध में आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2007-2008 की बाबत कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के कर दाताओं (निगमित और साथ ही अनिगमित) की आय के संबंध में आय-कर की दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही हैं जो "अग्रिम कर" की संगणना, "वेतन" में से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2006 की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुंबों, व्यक्तियों के संगम और व्यष्टि निकाय के मामले में, जिनकी, यथास्थिति, कुल आय या सीमांत फायदे 10,00,000/- रुपए से अधिक है, अध्याय-8 के अधीन रिबेट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, फर्म और देशी कंपनी की दशा में इस प्रकार संगणित कर में दस प्रतिशत अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। स्थानीय प्राधिकारी और सहकारी सोसाइटी की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाता है। देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में ढाई प्रतिशत के अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी।

सार्वभौमिक गुणवत्ता की मूलभूत शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दो प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार उद्गृहीत किया जाता रहेगा, जो सभी मामलों में अधिभार सहित संदेय कर की रकम पर उद्ग्रहणीय होगा।

II. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान "वेतन" से भिन्न कतिपय आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय में से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2006 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

इस प्रकार कटौती की गई रकम में निम्नलिखित मामलों में निम्नलिखित अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी:—

- (i) प्रत्येक व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों के संगम और व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, के ऐसे मामले में, जहां आय या संदत्त अथवा संभाव्य रूप से संदत्त की जाने वाली और कटौती के अधीन ऐसी आयों का योग दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;
- (ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (31) के उपखण्ड (vii) में निर्दिष्ट, प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;
- (iii) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली ऐसी आयों का कुल योग कटौती के अधीन एक करोड़ रुपए से अधिक है;
- (iv) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली ऐसी आयों का कुल योग कटौती के अधीन एक करोड़ रुपए से अधिक है।

किसी सहकारी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

सार्वभौमिक गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए दो प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक एक अतिरिक्त अधिभार उद्गृहीत किया जाता रहेगा, जो सभी मामलों में अधिभार सहित संदेय कर की रकम पर उद्ग्रहणीय होगा।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और उसे वित्तपोषित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक एक अतिरिक्त उपकर उद्ग्रहीत करना प्रस्तावित है (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकर नहीं है) जिससे सभी मामलों में सरकार की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने तथा उसका वित्तपोषण करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

III. वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, की दरें, "अग्रिम-कर" की संगणना और कतिपय मामलों में आय-कर का प्रभारण

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और साथ ही सभी प्रवर्गों के कर दाताओं के मामले में उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

ये दरें, ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, वर्तमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान आय-कर के प्रभारण के लिए भी लागू होंगी। इनके अंतर्गत किसी अनिवासी को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर चोरी के लिए संपत्ति का अंतरण किए जाने की संभावना है या अत्यावधियों के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण, आदि।

उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित पैराओं में इंगित किया गया है:—

क. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (31) के उपखण्ड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब या व्यष्टियों के निकाय चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं अथवा व्यष्टियों के संगम या कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में आय-कर की दरें भाग 3 के पैरा क में विनिर्दिष्ट की गई हैं (ऐसी दशा में नहीं जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है)।

- I. नीचे मद II और मद III में विनिर्दिष्ट मदों से भिन्न, व्यक्तियों के लिए आधारभूत छूट 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,10,000 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी दशाओं में कुल आय पर आय-कर की दर निम्नलिखित होगी—

| | |
|------------------------------|------------|
| 1,10,000 रुपए तक | कुछ नहीं |
| 1,10,001 से 1,50,000 रुपए तक | 10 प्रतिशत |
| 1,50,001 से 2,50,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 2,50,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |

- II. ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, छूट की सीमा 1,35,000 रुपए से बढ़ाकर 1,45,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,—

| | |
|------------------------------|------------|
| 1,45,000 रुपए तक | कुछ नहीं |
| 1,45,001 से 1,50,000 रुपए तक | 10 प्रतिशत |
| 1,50,001 से 2,50,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 2,50,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |

- III. ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष की या अधिक आयु का है, छूट की सीमा 1,85,000 रुपए से बढ़ाकर 1,95,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में कुल आय पर आय-कर की दरें निम्न प्रकार होंगी,—

| | |
|------------------------------|------------|
| 1,95,000 रुपए तक | कुछ नहीं |
| 1,95,001 से 2,50,000 रुपए तक | 20 प्रतिशत |
| 2,50,000 रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |

संगणित आय-कर की रकम में से, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटाकर आए आय-कर को ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, दस लाख रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय आय कर और अधिभार की कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

संगणित आय-कर की रकम में, आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

ख. सहकारी सोसाइटियां

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरों को विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट है कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट है।

पैरा ग में यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर पर परिकलित अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

फर्म की एक करोड़ रुपए या कम आय होने की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

सीमांत लाभों की रकम को विचार में लिए बिना, सीमांत लाभों पर अधिभार विद्यमान दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में अंतर्विष्ट की गई है यह दर वही बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ङ. कंपनी

कंपनियों की दशा में आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं, जो निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

पैरा ङ में संगणित आय-कर की रकम ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी के मामले में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के 10% की दर पर परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार से बंट जाएगी।

पैरा ङ में संगणित आय-कर की रकम देशी कंपनी से भिन्न ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर की ढाई प्रतिशत की दर पर परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा बढ़ जाएगी।

सीमांत अनुतोष उपलब्ध होगा और ऐसे मामलों में एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आयकर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आय की रकम जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, से अधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आयकर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

ऐसी कंपनियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए है या उससे कम है, कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

सीमांत फायदों की रकम को ध्यान में रखते हुए अधिभार, सीमांत फायदों पर कर की विद्यमान दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा।

संघ के प्रयोजनों के लिए 'आय-कर पर शिक्षा उपकर' नामक अतिरिक्त अधिभार आय-कर के दो प्रतिशत की दर पर और सभी मामलों में अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा, जिससे कि सरकार की सार्वभौमिक क्वालिटी की मूलभूत शिक्षा का वित्तपोषण करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

आय-कर और सभी मामलों में (अधिभार आय-कर पर शिक्षा उपकर को छोड़कर) एक प्रतिशत की दर पर 'आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर' नामक एक अतिरिक्त अधिभार उद्ग्रहण करने का प्रस्ताव है जिससे माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का उपबंध करने और उसका वित्त पोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके।

[खंड 2]

कर आधार को व्यापक बनाना

पूंजी आस्तियों की परिधि को व्यापक बनाना

धारा 2 के खंड (14) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी पूंजी आस्ति से किसी निर्धारित द्वारा किसी भी प्रकार की धारित संपत्ति अभिप्रेत है चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या नहीं। निर्धारित या उस पर निर्भर उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा वैयक्तिक इस्तेमाल के लिए धारित वैयक्तिक वस्तुओं को पूंजी आस्तियों की परिभाषा की सीमा से अपवर्जित रखा गया है इस समय, जेवर ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो वैयक्तिक वस्तुओं की प्रकृति की हैं, परंतु जिन्हें पूंजी आस्तियों की परिभाषा में रखा गया है।

'पूंजी आस्तियों' की परिधि को व्यापक बनाने की दृष्टि से उपरोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि वैयक्तिक वस्तुओं के अर्थ से पुरातत्वीय संकलन, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्तियों या किसी अन्य कला कृति को अपवर्जित किया जा सके। ऐसी वैयक्तिक वस्तुओं के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ कर लगेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

भारत की नई परिभाषा

धारा 2 के खण्ड (25क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन भारत में दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित समझा जाता है। उक्त परिभाषा धारा 6 के प्रयोजनों के लिए किसी अवधि के संबंध में है और 1 अप्रैल, 1963 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष हेतु कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पूर्व वर्ष में सम्मिलित किसी अवधि के संबंध में है। धन-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (टक) में भारत की समान परिभाषा उपबन्धित की गई है।

भारत की व्यापक परिभाषा का उपबन्ध करने के विचार से आय-कर अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (25क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि "भारत" संविधान के अनुच्छेद 1 में यथा निर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट इसके राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे सागर-खंडों के नीचे के समुद्र तल और अवमृदा, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र तथा उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है।

धन-कर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (टक) को संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि धन-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत की समान व्यापक परिभाषा का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 25 अगस्त, 1976 से प्रभावी होंगे।

[खंड 3 और खंड 74]

धारा 36(1)(xii) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए कानूनी निगम या निगमित निकाय को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार में शक्ति निहित करना

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (xii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध है कि किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा उस अधिनियम, जिसके अधीन ऐसा निगम या निगमित निकाय गठित या स्थापित किया गया था, द्वारा गठित या स्थापित किसी निगम या निगमित निकाय, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा उपगत कोई व्यय (जो पूंजी व्यय की प्रकृति का नहीं है), उसकी आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है।

अधिनियम में यथासूचीबद्ध उद्देश्य और प्रयोजन किसी भी तरह का व्यय अनुज्ञात कर सकते हैं, जिनको अनुज्ञात करने को विद्यमान उपबंधों की शर्तों के अधीन प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार में उन अधिनियमों में प्रतिष्ठापित उद्देश्यों और प्रयोजनों की जांच करके जिनके अधीन यह कानूनी निगम या निकाय गठित किए गए हैं, कानूनी निगमों या निकायों को अधिसूचित करने की शक्ति निहित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार संशोधन यह उपबंध करता है कि कटौती अनुज्ञात की जानी चाहिए यदि ऐसे निगम या निगमित निकाय को केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियमों के उद्देश्यों और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ऐसे निगमों या निगमित निकायों को उक्त खंड के अधीन राजपत्र में अधिसूचित करे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

धारा 54डग के अधीन 'दीर्घ अवधि विनिर्दिष्ट बंधपत्रों' में विनिधान के लिए शर्त

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 54डग में यह उपबंध है कि दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ को उस सीमा तक कर से छूट दी जाएगी जिस तक ऐसे पूंजी अभिलाभ ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर 'दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति' में विनिधान किए जाते हैं। वित्त अधिनियम, 2006 ने दीर्घ अवधि विनिर्दिष्ट आस्तियों की परिभाषा का संशोधन कर दिया ताकि उससे तीन वर्ष के पश्चात् उन्मोचनीय कोई बंध पत्र और 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी बंध पत्र अभिप्रेत हों। ऐसे बंध पत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाना था।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के विद्यमान खंड (ख) को प्रतिस्थापित करके विद्यमान धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, केन्द्रीय सरकार राजपत्र में ऐसे बंधपत्रों को अधिसूचित करते समय ऐसी अधिसूचना में ऐसे शर्तें अधिसूचित कर सके जो यह ठीक समझें जिनमें ऐसे बंधपत्रों में किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की रकम पर परिसीमा का उपबंध करने की शर्तें भी हैं।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा।

इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (ख) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व अधिसूचित बंधपत्रों को उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के साथ, खंड (ख) के उपबंधों के अधीन जैसे कि वे वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा उनके संशोधन के ठीक पूर्व ये विधिमान्य करने के लिए एक परंतुक अतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है; ऐसा बंधपत्र नए खंड (ख) के उपबंधों के अधीन अधिसूचित बंधपत्र माना जाएगा।

उपरोक्त उपबंध 1 अप्रैल, 2006 से अन्तःस्थापित किया जाना है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे बंधपत्रों को राजपत्र में अधिसूचित करने की अपेक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यह उपबंध करने के लिए एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् कोई विनिधान करने के लिए "दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है और जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी दीर्घ अवधि आस्तियों पर किसी निर्धारिती द्वारा विनिधान की अधिकतम सीमा का उपबंध किया जा सके। धारा 54डग के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों पर विनिधान 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 15]

न्यूनतम वैकल्पिक कर की परिधि को व्यापक बनाना

धारा 115जख में यह उपबंध है कि किसी कंपनी की दशा में, यदि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथा संगणित कुल आय पर संदेय कर उसके बही लाभ के दस प्रतिशत से कम है वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का दस प्रतिशत होगा।

धारा 115 जख की उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के अनुसार "बही लाभ" पद से ऐसा शुद्ध लाभ अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और भाग 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखा में उस धारा में यथा विनिर्दिष्ट कतिपय समायोजनों द्वारा वृद्धि करके या घटा कर दर्शाया गया है। पूर्वोक्त स्पष्टीकरण में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि बही लाभ में धारा 10क या धारा 10ख में निर्दिष्ट किसी आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमों जोड़ दी जाएगी, यदि ऐसी रकम लाभ और हानि लेखा में से विकलित कर दी जाती है और उसमें से धारा 10क या धारा 10ख धाराओं में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाएगी यदि ऐसी कोई रकम लाभ या हानि लेखा में जमा कर दी जाती है।

धारा 10क या धारा 10ख के अधीन कटौती के लिए पात्र आय को मेट (एमएटी) से छूट दिया जाना, मेट प्रारंभ करने के आधारिक सिद्धांत के विपरीत है, जो यह उपबंध करता है कि अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले प्रत्येक निगम करदाता को कोष में अभिदाय करना चाहिए। तदनुसार धारा 115जख की उपधारा (2) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (घ) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि बही लाभ में ऐसी किसी आय से संबंधित व्ययों की रकम या रकमों नहीं जोड़ी जाएगी जिसको धारा 10क या धारा 10ख लागू होती है।

इसके अतिरिक्त उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी आय की रकम जिसे धारा 10क या धारा 10ख का कोई उपबंध लागू होता है, पूर्वोक्त धारा के अधीन संदेय आय-कर की संगणना के प्रयोजनों के लिए बही लाभ से नहीं घटाई जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 26]

कल्याण उपाय

किसी आपदा के कारण प्राप्त किए गए या प्राप्य प्रतिकर के लिए छूट

अभी हाल ही में हुई अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर पीड़ितों और उनके परिवारों को प्रतिकर प्रदान किया गया है।

धारा 10 में एक नया उपखंड (10खग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति या उसके विधिक वारिस द्वारा किसी आपदा के संबंध में प्रतिकर के रूप में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त या प्राप्य कोई राशि कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी, उस विस्तार तक उस प्राप्त या प्राप्य उस राशि को छोड़कर जिस तक ऐसे व्यक्ति या उसके विधिक वारिस को ऐसी आपदा से कोई हानि या नुकसान के कारण इस अधिनियम के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है। यह उपबंध करने के लिए भी प्रस्ताव है कि नए खंड के प्रयोजन के लिए 'आपदा' का अर्थ वह होगा जो उसका आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 2(घ) के अधीन है।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

'अन्य नियोजकों' के कर्मचारियों को धारा 80गगघ के अधीन कर फायदों का विस्तार

धारा 80गगघ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति है, और जिसने पूर्ववर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई या की जाने वाली किसी पेंशन स्कीम के अधीन कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है वहां उसकी कुल आय की संगणना करने में इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी। इसी प्रकार केंद्रीय सरकार उक्त पेंशन स्कीम के अधीन व्यक्ति के खाते में किया गया कोई अभिदाय वहां निर्धारित को कुल आय की संगणना करने में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई उस संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती के लिए अनुज्ञात है।

धारा 80गगघ को 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् किसी ऐसे अन्य नियोजक द्वारा जिसने उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति कर्मचारी के खाते में विनिर्दिष्ट रकम संदत्त या निक्षिप्त की है, नियोजित ऐसे कर्मचारी को विस्तारित करने की दृष्टि से धारा 80गगघ का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप धारा 7 और 17 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि धारा 80गगघ के संदर्भ में 'किसी अन्य नियोजक' के प्रति निर्देश किया जाए और किसी अन्य नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय को पूर्व वर्ष में प्राप्त आय के रूप में माना जा सके और क्रमशः वेतन की परिभाषा में किसी अन्य नियोजक द्वारा किए गए अभिदाय को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4, 10 और 19]

किसी 'नातेदार' की उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर संदत्त ब्याज की संपूर्ण रकम के लिए कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80ड किसी व्यक्ति को अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्ण संस्था से उसके द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज के रूप में पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की उसकी कुल आय में से कटौती के लिए उपबंध करती है। यह कटौती उस निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले आठ निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध है जिसमें उधार पर ब्याज का संदाय आरंभ होता है।

इस कर फायदे का प्रारंभ देश में उच्च गुणवत्ता के मानव संसाधन बनाए रखने और प्रतिभाशाली पुरुषों और महिलाओं को संसाधनों की कमी के बावजूद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। यह अनुतोष माता-पिता को अनुज्ञात नहीं है, अपितु स्वयं छात्र को अनुज्ञात है, जब वह रकम का पुनः संदाय प्रारंभ करता है।

धारा 80ड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने नातेदार की उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की कटौती अनुज्ञात की जा सके।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 80ड के प्रयोजनों के लिए "नातेदार" पद को परिभाषित किया जाए जिससे कि व्यक्ति की पत्नी या पति और बालक अभिप्रेत हों।

यह संशोधन, 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण उपाय

भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय

धारा 9 ऐसी स्थितियों के लिए उपबंध करती है जहां आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाता है।

वित्त अधिनियम, 1976 के द्वारा उक्त धारा में खंड (v), (vi) और (vii) के अंतःस्थापनों के माध्यम से ब्याज, स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों से आय के लिए एक स्रोत नियम का उपबंध किया गया था। अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया गया था कि किसी निवासी अदाता से प्राप्त ब्याज, स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों के संदाय के मामले में आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाएगा, सिवाय वहां के जहां ब्याज या स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों भारत से बाहर किए गए कारबार या वृत्ति से या भारत से बाहर किसी स्रोत से कोई आय प्राप्त करने या आय अर्जित करने से संबंधित हैं। इन संशोधनों के आशय को परिपत्र सं. 202 तारीख 5.7.1976 द्वारा जारी वित्त अधिनियम, 1976 को प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंधों के स्पष्टीकरण टिप्पणों में स्पष्ट किया गया था। स्वामिस्व आय के स्रोत नियम के संबंध में निम्नलिखित कथन किया गया था:

“पूर्वोक्त संशोधन को देखते हुए, किसी पेटेंट, अविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गोपनीय सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिन्ह या वैसी ही संपत्ति से संबंधित किसी डाटा, दस्तावेजों, रेखाचित्रों या विनिर्देशों के भारत से बाहर अंतरण या उनके संबंध में भारत से बाहर सूचना देने के लिए एकमुश्त प्रतिफल वाली स्वामिस्व आय सामान्यतया भारत में कर से प्रभार्य बन जाएगी।”

इस प्रकार, स्रोत नियम को प्रारंभ करने का आशय यह था कि धारा 9 में एक विधिक अभिकल्पना का सृजन करके ब्याज, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों को कर के अंतर्गत लाया जाए। चूंकि ब्याज और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों हेतु स्रोत नियम स्वामिस्व आय के नियम के समान है, इसलिए ऊपर वर्णित सिद्धांत ब्याज और तकनीकी सेवाओं के लिए समान रूप से लागू है। स्रोत नियम से यह तात्पर्य होगा कि सेवा की अवस्थिति पर ध्यान न देते हुए, आदाता की अवस्थिति और सेवा के उपयोग की अवस्थिति कर अधिकारिता का अवधारण करेगी। इसके अतिरिक्त, धारा 5, जो कुल आय की परिधि को परिभाषित करती है, अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन है, जिनमें धारा 1 भी सम्मिलित होगी और धारा 9 के निबंधनों के अनुसार प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय धारा 5 के अंतर्गत आती है। भारत में प्राद्भूत या उद्भूत आय समझे जाने के लिए आय का वास्तव में भारत में प्राद्भूत या उद्भूत होना आवश्यक नहीं है।

हाल ही की न्यायिक राय यह रही है कि किसी ऐसी समझी गई आय की भारत में कराधेय होने के लिए, उक्त धारा में समझे जाने की अभिकल्पना के बावजूद ऐसी आय और भारत के राज्यक्षेत्र में पर्याप्त राज्यक्षेत्रीय संबंध होना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी निवासी द्वारा कोई राशि किसी अनिवासी को संदेय है वहां उक्त धारा का समझी गई आय का विस्तार, किसी अनिवासी की, उसके द्वारा भारत से बाहर दी गई सेवाओं के लिए, भारतीय समुत्थानों से भारत से बाहर प्राप्त की गई आय को कर के अंतर्गत नहीं ला सकता। जहां तक तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों का संबंध है, विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि फीसों के भारत में कराधेय होने के लिए, न केवल सेवाओं का उपयोग भारत में किसी कारबार में किया गया हो, अपितु उन्हें भारत में ही दिया गया होना चाहिए।

खंड (v), (vi) और (vii) रखने के पीछे विधायी आशय स्रोत नियम को विधिक मान्यता प्रदान करना है। यह स्रोत नियम भारत के दोहरे कर अपवंचन करारों में भी मान्यताप्राप्त है। संदेहों के निवारण के लिए, धारा 9 में उपबंधित स्रोत नियम की विनिर्दिष्ट अभिपुष्टि करने के लिए, उस धारा में अब एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (v), (vi) या (vii) के अधीन किसी आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझा जाता है, वहां ऐसी आय को, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या अनिवासी का भारत में कोई निवास या कारबार का स्थान या कारबार संबंध है अथवा नहीं, उस अनिवासी की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, उक्त खंडों के अधीन किसी अनिवासी की भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत समझी गई आय और भारत के राज्यक्षेत्र के बीच राज्यक्षेत्रीय संबंध स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1976 से प्रभावी होगा।

[खंड 5]

किराया के विषय में रियायत के संबंध में स्पष्टीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 15 यह उपबंध करती है कि किसी नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती को देय या संदत्त या अनुज्ञात कोई वेतन या उसे संदत्त या अनुज्ञात वेतन का कोई बकाया 'वेतन' शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है। 'वेतन' पद आय-कर अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित किया गया है और, अन्य बातों के साथ, इसमें किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त परिलब्धियां या फायदे भी हैं। अन्य बातों के साथ, आय-कर अधिनियम, 1961, की धारा 17 की उपधारा (2) में यथा परिभाषित 'परिलब्धि' पद के अन्तर्गत निम्नलिखित है:-

- निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए किराया मुक्त आवास का मूल्य
- कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा प्रदान किए गए किसी आवास की बाबत मामले में किसी रियायत का मूल्य भी है।

किराए के विषय में रियायत का गठन कैसे किया जाता है, के बारे में स्पष्टीकरण का उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (ii) में एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि ऐसे मामले में, जहां किसी नियोजक द्वारा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न निर्धारिती को असुसज्जित आवास दिया जाता है और, आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के दस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के साढ़े सात प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह और उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि ऐसे मामले में जहां किसी नियोजक द्वारा (केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न) निर्धारिती को असुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां ऐसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में आया था, आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त पट्टे के किराए या उसके द्वारा संदेय किराए की वास्तविक रकम है, इनमें से जो भी कम हो, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि ऐसे मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारिती को सुसज्जित आवास दिया जाता है, वहां उस आवास की बाबत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार अवधारित अनुज्ञप्ति फीस, जो उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, फर्नीचर और फिक्सचरों का मूल्य जोड़कर निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए और निर्धारिती द्वारा फर्नीचर या फिक्सचरों के लिए संदत्त या संदेय प्रभारों के योग से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उस मामले में, जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सज्जित आवास दिया जाता है, और आवास नियोजक के स्वामित्व में है वहां उक्त आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास निर्धारिती के पूर्ववर्ष के दौरान अधिभोग में था, बढ़ाया गया है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि उस मामले में जहां, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा सुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है वहां असुसज्जित आवास का मूल्य फर्नीचरों और फिक्सचरों के मूल्य को जोड़कर उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह भी उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि फर्नीचर और फिक्सचर का मूल्य फर्नीचर की, (जिसके अन्तर्गत टेलीविजन सेट रेडियो सेट, रेफ्रीजरेटर या अन्य घरेलू साधित्र, वातानुकूल संयंत्र या उपस्कर या इसी प्रकार के अन्य सधित्र या गैजटस हैं) या यदि ऐसा फर्नीचर किसी तीसरे पक्षकार से किराए पर लिया जाता है उसके लिए सदैव वास्तविक प्रभारों में से पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारितों द्वारा उसके लिए संदत्त या संदेय किसी प्रकार को घटाकर, लागत का दस प्रतिशत होगा।

यह और भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे मामले में जहां आवास केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा होटल में दिया जाता है, (सिवाय वहां के जहां कर्मचारी को ऐसा आवास उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण पर कुल पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए दिया जाता

हैं), वहां पूर्ववर्ष के लिए संदत्त या संदेय वेतन के चौबीस प्रतिशत की दर पर अवधारित आवास का मूल्य या ऐसे होटल को संदत्त या संदेय वास्तविक प्रभार, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान आवास दिया जाता है, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-2003 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

इस प्रकार अन्तःस्थापित स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि किसी मामले में जहां केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और आवास नियोजक के स्वामित्व में है, वहां ऐसे शहरों में जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार चार लाख से अधिक है, वेतन के बीस प्रतिशत की दर से और अन्य शहरों में वेतन के पन्द्रह प्रतिशत की दर से अवधारित आवास का मूल्य, ऐसी किसी अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि किराए के मामले में रियायत प्रदान की गई समझी जाएगी यदि किसी मामले में जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से भिन्न किसी नियोजक द्वारा असुसज्जित आवास दिया जाता है और नियोजक द्वारा आवास पट्टे या किराए पर लिया जाता है, उक्त आवास का मूल्य, जो नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय पट्टे के किराए की वास्तविक रकम या वेतन का बीस प्रतिशत है, इनमें से जो भी कम हो, उस अवधि की बाबत, जिसके दौरान उक्त आवास पूर्ववर्ष के दौरान कर्मचारी के अधिभोग में था, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10]

धारा 36(1)(viiक) के अधीन सहकारी बैंकों की दशा में अनुज्ञात किए जाने वाले डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी प्रावधान की बाबत कटौती

धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कुल आय (उक्त खंड और अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) के साढ़े सात प्रतिशत से अनधिक की रकम की और विहित रीति में किसी अनुसूचित बैंक या अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए सकल औसत अग्रिमों से दस प्रतिशत से अनधिक की रकम ऐसे बैंकों की आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है। धारा 36 की उपधारा (1) के उपखंड (viiक) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित "अनुसूचित बैंक" के अन्तर्गत सहकारी बैंक नहीं है।

बैंकारी (सहकारी बैंक) के कारबार चलाने में लगी सहकारी सोसाइटी की दशा में धारा 80त के अधीन पूर्वतर अनुज्ञेय किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की दशा में वर्जित करते हुए निर्धारण वर्ष 2007-2008 से वापस ले ली गई है।

चूंकि सहकारी बैंक के लाभ धारा 80प के अधीन बैंकारी कारबार चलाने में लगी सहकारी समिति को उपलब्ध कटौती की वापसी अब कराधेय हो गई है, ऐसे सहकारी सोसाइटी बैंकों को डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए किसी प्रावधान की बाबत कटौती अनुज्ञात की जानी चाहिए क्योंकि उसके लाभ कराधेय हो गए हैं। यह संशोधन ऐसे सहकारी बैंकों के लिए जो प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नहीं है, इस कटौती को अनुज्ञात करने का प्रस्ताव करता है।

उक्त खंड (viiक) के स्पष्टीकरण का खंड (ii) में अनुसूचित बैंक की परिभाषा का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे अनुसूचित सहकारी बैंकों को इस परिभाषा के अन्तर्गत लाया जा सके।

धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) के स्पष्टीकरण में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन "अनुसूचित बैंक" पद का वह अर्थ होगा जो उसका धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) में है, जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंक नहीं हैं। तथापि, प्रस्तावित संशोधन के पश्चात "अनुसूचित बैंक" की परिभाषा के अन्तर्गत अनुसूचित सहकारी बैंक भी आएंगे। पूर्वोक्त मद (चक) के स्पष्टीकरण में वर्तमान में आने वाले "अनुसूचित बैंक" निर्देश परिभाषा किसी सहकारी बैंक द्वारा किसी अनिवासी या किसी ऐसे व्यक्ति को साधारण रूप से अनिवासी है, जो संदेय ब्याज की छूट को अनुज्ञात नहीं करता है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए "अनुसूचित बैंक" की परिभाषा, धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (ii) इसके पूर्व संशोधित में पूर्वोक्त मद (चक) में विद्यमान स्पष्टीकरण के स्थान पर रखा जा रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त मद (चक) के अधीन अनुज्ञात छूट का विस्तार में परिवर्तन न हो। उक्त मद (चक) में "अनुसूचित बैंक" की परिभाषा का प्रस्तावित प्रतिस्थापन इसके उद्देश्य को पूरा करता है।

"अनुसूचित बैंक" की परिभाषा का प्रस्तावित संशोधन का, जैसा यह धारा 36 में है, प्रभाव भी अनुसूचित सहकारी बैंकों को धारा 43घ के उपबंध लागू करने का होगा।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चात्तर्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6 और 12]

धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित के सृजन और अनुरक्षण के संबंध में कटौती से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के विद्यमान उपबंध निम्नलिखित द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षित निधि के संबंध में किसी कटौती के लिए उपबंध करता है—

- ऐसा वित्तीय निगम जो भारत में औद्योगिक या कृषि विकास या अवसंरचनात्मक सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने में लगा हुआ है; या
- भारत में निवास के प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में निर्मित और रजिस्ट्रीकृत कोई पब्लिक कंपनी।

पूर्वोक्त खण्ड के अधीन अनुज्ञेय कटौती दीर्घावधि वित्त प्रदान करने का कारबार करने से व्युत्पन्न लाभों का चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

इस विशेष कटौती से संबंधित उपबंध आय-कर अधिनियम, 1922 में भी विद्यमान थे तथा वे आय-कर अधिनियम, 1961 में भी बनाए रखे गए हैं। मूलरूप से इस कटौती का उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास को तीव्र करना था।

उक्त खण्ड के उपबंधों की सीमा को बाद में वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1971 द्वारा भारत में कृषि विकास के लिए दीर्घावधि वित्त प्रदान करने में लगे अनुमोदित वित्तीय निगमों को इसकी परिधि में सम्मिलित करके व्यापक बनाया गया। उक्त खण्ड के उपबंधों में अर्तनिहित उद्देश्य, जैसा कि पूर्वोक्त विधेयक के उपबंधों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में समझाया गया था, उनके आंतरिक संसाधनों को त्वरित गति से निर्मित करने में वित्तीय निगमों को सक्षम बनाना तथा उनकी गतिविधियों को वित्तपोषित करने हेतु सरकार के अनुदान से स्वतंत्र करना था।

इस विशेष कटौती के प्रारंभ तथा उसकी परिधि के पश्चातवर्ती विस्तार से कंपनियों पर उच्च कर आपतन सारवान रूप से नीचे आ गया है। इस कटौती का फायदा निगमों को पूंजी बाजार में सीमित पहुंच के कारण उनके प्रारंभिक निम्न साम्या आधार को बढ़ाने में समक्ष बनाने के लिए भी आशयित था। उदारीकरण के बढ़ने के दौरान, नब्बे के प्रारंभ से तक, पूंजी बाजार का पर्याप्त प्रसार और विस्तार हुआ है। पूंजी बाजार तक पहुंच उल्लेखनीय रूप से सुधर चुकी है।

अतः यह संशोधन दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के कारबार से व्युत्पन्न लाभों की कटौती को बीस प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव करता है। कटौती की बाहरी सीमा के लिए उपबंध पर विचार करते हुए, जो समादत्त शेयर पूंजी की रकम और साधारण आरक्षिति का दुगुना है, कटौती के स्तर में बीस प्रतिशत की प्रस्तावित कटौती का प्रभाव उस समयावधि को बढ़ाएगा जिसके दौरान फायदा पाने वाले "विनिर्दिष्ट एकक" द्वारा कटौती का दावा किया जा सकता है। अतः प्रभावी रूप से, विनिर्दिष्ट एककों पर दीर्घावधि में बुरा-प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस उपबंध को अस्तित्वों के विभिन्न प्रवर्गों (जिसमें अब सहकारी बैंक भी सम्मिलित हैं) तथा उक्त खण्ड के अधीन ऐसी कटौती की पात्रता के लिए उनकी अपनी-अपनी गतिविधियों का उपबंध करने के लिए पुनर्संरचित भी किया गया है। उक्त खण्ड के अधीन छूट का दावा करने के लिए, (i) कंपनी अधिनियम की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय निगम या कंपनी है अथवा सहकारी बैंक है (प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न), को औद्योगिक या कृषि विकास अथवा अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घावधि वित्त पोषण के कारबार में लगना होगा, (ii) आवास वित्त कंपनी को, भारत में आवास प्रयोजनों के लिए गृहों के निर्माण या क्रय हेतु दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने के कारबार में लगना होगा, और (iii) पब्लिक कंपनी समेत किसी अन्य वित्तीय निगम को भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास हेतु दीर्घावधि वित्त उपलब्ध कराने में लगना होगा। यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 4क में विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय निगम में ऐसे निगम सम्मिलित होंगे जो कंपनी अधिनियम की धारा 4 क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट हैं।

यह संशोधन "बैंककारी कंपनी", "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी", "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक", "पब्लिक कंपनी", "अवसंरचना सुविधा" और "दीर्घावधि वित्त" अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं का भी उपबंध करता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12]

लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा विनिमय जोखिम प्रशासन निधि में धारा 36(i)(x) के अधीन अभिदाय के संबंध में कटौती का वापिस लिया जाना

धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (x) के विद्यमान उपबंधों के अधीन लोक वित्तीय संस्थाओं द्वारा, संयुक्त या पृथक रूप से स्थापित विनिमय जोखिम प्रशासन निधि (ई.आर.ए.एफ.) में योगदान के माध्यम से संदत्त कोई राशि, संदाय करने वाली लोक वित्तीय संस्था की आय की गणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाती है।

ईआरएएफको विनिमय जोखिम प्रशासन स्कीम के नाम से ज्ञात एक स्कीम के अधीन स्थापित किया गया था। इस स्कीम के अधीन विनिमय जोखिम को शामिल करने का फायदा संस्थाओं द्वारा उनके विदेशी वाणिज्यिक उधारों में से प्रदान किए गए विदेशी करेंसी उधार प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध था।

किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा स्थापित अधिसूचित ईआरएएफ की आय के संबंध में धारा 10 के खण्ड (23ड) के अधीन छूट पूर्व में वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा प्रदान की गई थी। धारा 10 के खण्ड (14क) के आधार पर उधार प्राप्तकर्ताओं से लोक वित्तीय संस्था द्वारा विनिमय जोखिम प्रीमियम के रूप में प्राप्त की गई और तत्पश्चात् ईआरएएफ को उधार दी गई आय को भी कर से छूट प्रदान की गई। धारा 10(23ड) के अधीन ईआरएएफ को दी गई छूट वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से इस आधार पर वापिस ले ली गई कि इन निधियों के प्रचालन वाणिज्यिक आधार पर थे जिसके द्वारा वे विनिमय उतार-चढ़ाव के मद्दे वास्तविक हानि को पूरा करने के लिए विनिमय जोखिम प्रीमियम विदेशी करेंसी उधारप्राप्तकर्ताओं से संगृहीत कर रही थीं। ईआरएएफ 1989 से लम्बे समय तक विद्यमान थीं और यह महसूस किया गया कि उन्हें कर से छूट देने की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। धारा 10 के खण्ड (14क) के अधीन छूट को भी इसके साथ ही वापिस ले लिया गया।

विनिमय जोखिम प्रशासन स्कीम (ईआरएएफ) प्रारंभ करने के समय से भारत में विदेशी विनिमय परिदृश्य में भारी परिवर्तन हो चुका है। उधार प्राप्तकर्ताओं के अपने विदेशी विनिमय जोखिम का बचाव करने के लिए बाजार में कई विकल्प उपलब्ध हैं। परिवर्तित बाजार गतिशीलता के प्रतिउत्तर में भारतीय औद्योगिक और विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पी.एफ.सी.) और इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आई.आर.ई.डी.ए.) द्वारा ई.आर.ए.एफ. को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, इस खण्ड की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है।

तदनुसार, यह संशोधन उक्त उपधारा से खण्ड (x) का लोप किया जाना प्रस्तावित करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

कतिपय धनीय प्राप्तियों के लिए कराधान से अपवाद को भूतलक्षी प्रभाव देना तथा आय की परिभाषा में कतिपय अन्य धनीय प्राप्तियों को सम्मिलित करना

धारा 56(2) के खण्ड (v) के अधीन जहां पच्चीस हजार रुपए से अधिक की कोई धनराशि किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात किन्तु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है, वहां समस्त ऐसी राशि 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी है। उक्त खण्ड के परंतुक में यह अपवाद दिया गया है कि उक्त खण्ड ऐसी राशि को लागू नहीं हो जो उसमें यथा विनिर्दिष्ट कतिपय व्यक्तियों से और ऐसी परिस्थितियों के अधीन प्राप्त होती है। कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006, जो 13 जुलाई, 2006 को अधिनियमित किया गया, उक्त परंतुक में नए खण्ड (ड), खंड (च) और खंड (छ) अंतःस्थापित करता है। जिससे कि किसी स्थानीय प्राधिकारी, या धारा (23ग) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व अथवा धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि के संबंध में 13 जुलाई, 2006 से ऐसी छूट, प्रदान की जा सके।

उक्त खंड (ड), खण्ड (च) और खण्ड (छ) को 1 अप्रैल, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना प्रस्तावित है, जो वह तारीख है जिससे धारा 56 की उपधारा (2) का खण्ड (v) प्रभावी हुआ।

यह संशोधन निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा निर्धारण वर्ष 2006-2007 के संबंध में लागू होगा।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से, धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खण्ड (vi) अंतःस्थापित किया गया, जिसके द्वारा उसके परंतुक में विनिर्दिष्ट अपवादों के अधीन धन की किसी रकम के सकल मूल्य का संपूर्ण पचास हजार रुपए से अधिक होने पर, जो प्रतिफल के बिना 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् किसी पूर्ववर्ती वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाज्य कुटुम्ब को प्राप्त होती है, 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभावी है।

धारा 2 के खण्ड (24) में एक नया खण्ड (xiv) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि 'आय' में धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (vi) में निर्दिष्ट किसी राशि को सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2007-2008 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।
[खंड 3 और खंड 16]

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम की धारा 80घ यह उपबंध करती है कि किसी निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, जो कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, निर्धारिती के स्वास्थ्य या कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने हेतु चेक द्वारा संदाय की गई राशि, कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। कटौती के रूप में अनुज्ञात अधिकतम रकम दस हजार रुपए है। वरिष्ठ नागरिकों की दशा में, अनुज्ञात कटौती पंद्रह हजार रुपए है।

इसी प्रकार, धारा 36 की उपधारा(1) का खण्ड (ix) निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तथा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन गठित साधारण बीमा निगम द्वारा बनाई गई स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदाय किए गए किसी प्रीमियम के चेक द्वारा संदत्त रकम की कटौती के लिए उपबंध करती है।

इलैक्ट्रानिक मोड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से किए गए संदाय हेतु कटौती अनुज्ञात करने की दृष्टि से, धारा 80घ तथा धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ix) के उपबंधों को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि नकद से भिन्न किसी भी माध्य से किया गया प्रीमियम का संदाय, इन धाराओं के अधीन कटौती का पात्र होगा।

धारा 80घ के अधीन अनुज्ञात अधिकतम 10,000 रुपए की रकम को 15,000 रुपए तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे; तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 12 और खंड 20]

धारा 80झक के प्रयोजनों के लिए अवसंरचना सुविधा, औद्योगिक पार्क इत्यादि के प्रतिनिर्देश से विकासकर्ता के संबंध में स्पष्टीकरण

धारा 80झक अन्य बातों के साथ अवसंरचना सुविधा, औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे हुए किसी उद्यमी या उपक्रम को 10 वर्ष के कर फायदे का उपबंध करती है।

कर फायदे को इस कारण से आरम्भ किया गया थी कि औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए अवसंरचना का वस्तु विस्तार और गुणवत्ता सुधार (अर्थात् द्रुतगति मार्ग; राजमार्ग, विमानपत्तन, पत्तन और तीव्र नगरीय रेल परिवहन प्रणालियाँ) अपेक्षित है, जिसका हमारे देश में अभाव था। कर फायदे का प्रयोजन निजी क्षेत्र की सहभागिता को अवसंरचना क्षेत्र के विकास में विनिधान के माध्यम से बढ़ावा देना था न कि उन व्यक्तियों को जो केवल सिविल सन्निर्माण कार्य का अन्य संविदा कार्य करते हैं।

तदनुसार यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि धारा 80झक के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो किसी संविदा कार्य का निष्पादन करता है जो उसने किसी उपक्रम से या उक्त धारा निर्दिष्ट किसी उद्यम से किया था। अतः ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति विनिधान करता है और स्वयं विकास कार्य निष्पादित करता है अर्थात् सिविल सन्निर्माण कार्य, धारा 80झक के अधीन कर फायदे का पात्र होगा। इसके विपरीत कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कार्य संविदा का निष्पादन करने के लिए संविदा करता है (अर्थात् धारा झक में निर्दिष्ट उपक्रम या उद्यम) धारा 80झक के अधीन कर फायदे का पात्र नहीं होगा।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2000-2001 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

31.03.2007 के पश्चात् समामेलन या निर्विलयन का सामना कर रही भारतीय कंपनियों के उपक्रमों/उद्यमों के लिए धारा 80 झक के अधीन कर फायदा उपलब्ध न होना

धारा 80 झक के विद्यमान उपबंध कतिपय ऐसे उपक्रमों या उद्यमों के लाभों और अभिलाभों की बाबत दस वर्ष के लिए शत प्रतिशत कटौती का उपबंध करते हैं, जो विकास, अवसंरचना सुविधा के प्रचालन और रखरखाव तथा औद्योगिक पार्कों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों या विद्युत के उत्पादन, वितरण या पारेषण के कारबार में लगे हुए हैं। उक्त धारा 80 झक की उपधारा (4) कटौती के लिए पात्र क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट करती है, जिसके अंतर्गत, अन्य बातों के साथ, विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण, अवसंरचना सुविधा का विकास, औद्योगिक पार्कों का विकास जिसके अंतर्गत गैस पाइपलाइन और भण्डारण सुविधाओं, जो नेटवर्क का एक भाग हैं, और वैसा ही फायदा किसी क्रॉस-कट्टी प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाए जाने और उसके प्रचालन के लिए प्रस्तावित है।

उक्त धारा 80 झक की उपधारा (12) यह उपबंध करती है कि जहां भारतीय कंपनी का कोई ऐसा उपक्रम जो उक्त धारा के अधीन कटौती का हकदार है, समामेलन या निर्विलयन की स्कीम में उस धारा में विनिर्दिष्ट, अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी अन्य भारतीय कंपनी को अंतरित कर दिया जाता है, वहां उक्त धारा 80 झक के उपबंध समामेलित या पारिणामिक कंपनी को ऐसे लागू होंगे जैसे वे समामेलनकारी या निर्विलयित कंपनी को लागू हुए हों, मानो समामेलन या निर्विलयन नहीं हुआ हो।

धारा 80 झक में एक नई उपधारा (12क) अंतः स्थापित करना प्रस्तावित है जिससे कि उपधारा (12) के उपबंध उस उपक्रम या उद्यम को लागू नहीं होंगे जो 31.03.2007 के पश्चात् समामेलन या निर्विलियन की स्कीम में अंतरित की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और, तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

आय कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 4 के खंड (डक) में अधिकथित शर्त के अनुपालन के लिए नियम 3 में उपवर्णित समय सीमा का विस्तार

आयकर अधिनियम अनुसूची के नियम 4 में वे शर्तें उपबंधित हैं जिनको मान्यता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए पूरा करने की किसी भविष्य निधि से अपेक्षा की जाती है। उक्त नियम 4 का खंड (डक) यह उपबंध करता है कि निधि ऐसे स्थापन की होगी जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं और ऐसे स्थापन को उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट प्रदान की गई है।

खंड (डक) में दी गई शर्तों को स्पष्ट रूप से उपवर्णित उक्त खंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निधि ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के उपबंध लागू होते हैं या ऐसे स्थापन की निधि होगी जिसे उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है और ऐसा स्थापन उस धारा में वर्णित किसी स्कीम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट अभिप्राप्त करेगा।

चतुर्थ अनुसूची के भाग क का नियम 3 यह उपबंध करता है कि आय-कर मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी ऐसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान कर सकता है जो नियम 4 और इस निमित्त बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में विहित शर्तों को पूरा करता है।

अन्य बातों के साथ, उक्त नियम का उपनियम (1) का परन्तुक यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामले में जहां 31, मार्च, 2006 को या उसके पहले किसी भविष्य निधि को मान्यता प्रदान की गई है और ऐसी भविष्य निधि नियम 4 के खंड (डक) में उपवर्णित शर्तों को पूरी नहीं करती है ऐसी निधि की मान्यता तब वापस ले ली जाएगी जब ऐसी निधि 31 मार्च, 2007 को या उससे पहले ऐसी शर्तों को पूरा नहीं करती है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन छूट पाने वाले आवेदनों पर विनिश्चय करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए पर्याप्त समय का प्रदान करने की दृष्टि से, 31.3.2007 से 31.3.2008 तक उक्त अनुसूची के भाग क के नियम 4 के खंड (डक) में निदिष्ट शर्त को पूरा करने के लिए आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची के नियम 3 में उपबंधित समय सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

नियम 3 के उपनियम (1) में एक परन्तुक अन्तः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि पहला परन्तुक ऐसे स्थापन की भविष्य निधि को लागू नहीं होगा जिसकी बाबत कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 73]

कर कटौती और स्रोत पर संग्रहण के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

8% बचत वाले (कराधेय) बंधपत्रों 2003 पर स्रोत पर कटौती का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 193 का संशोधन।

8% बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 पर स्रोत पर कर कटौती का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 193 का संशोधन विद्यमान धारा 193 का परंतुक, अन्य बातों के साथ, स्रोत पर कर की कटौती की अपेक्षा से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर संदेय किसी ब्याज को अपवर्जित करता है। परिणामस्वरूप, 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 पर संदेय ब्याज पर कर की कटौती नहीं की जा रही है।

8% वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां हैं। आर्थिक कार्य विभाग की तारीख 21 मार्च, 2003 की अधिसूचना भी यह स्पष्ट करती है कि 8% वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 आय-कर के अधीन कराधेय हैं। इन बंधपत्रों पर कर की कटौती न किए जाने का परिणाम करों का अपवंचन है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बंधपत्र, 2003 पर किसी ब्याज का किसी निवासी को संदेय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति आय-कर की कटौती करेगा यदि ऐसे बंधपत्र, पर संदेय ब्याज वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 43]

किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या डाकघर द्वारा धारा 194क के अधीन संदेय ब्याज के संबंध में अवसीमा में बढ़ोतरी

धारा 194क की उपधारा (3) का विद्यमान खंड (i) में यह उपबंध है कि स्रोत पर आय-कर की कटौती उन मामलों में नहीं की जाएगी, जहां "प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न" ब्याज के रूप में आय की रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होती है।

संशोधन यह प्रस्ताव करता है कि पूर्वोक्त धारा के प्रयोजनों के लिए स्रोत पर कर कटौती की सीमा वहां दस हजार रुपए होगी जहां संदायकर्ता बैंककारी कंपनी या किसी अधिसूचित स्कीम के संबंध में बैंककारी या डाकघर कारबार करने में लगी हुई कोई सहकारी सोसाइटी है और अन्य दशाओं में अवसीमा पांच हजार रुपए तक बनी रहेगी।

निवासियों को कर पर स्रोत की कटौती किए बिना ब्याज के संदाय के संबंध में त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 206घ के उपबंधों में परिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन, 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 44, 51]

धारा 194ग के उपबंधों की परिधि का विस्तार

धारा 194ग की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध किसी निवासी ठेकेदार को, ठेकेदार और सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, कानूनी निगमों, कंपनियों, सहकारी सोसाइटियों, कानूनी प्राधिकारियों जो गृह आवासों इत्यादि का उपबंध करने में लगे हैं, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और फर्मों के बीच किसी संविदा के अनुसरण में प्रत्यय या संदत्त किसी राशि पर स्रोत पर आय-कर की कटौती का उपबंध करती है। विज्ञापन संविदाओं की दशा में स्रोत पर कर संग्रह 1% और अन्य मामलों में 2% है।

धारा 194ग की उपधारा (1)के विद्यमान उपबंध किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा ठेकेदार को किए गए संदायों पर स्रोत से कर की कटौती का उपबंध नहीं करती है।

व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा जो कारबार या वृत्ति कर रहे हैं द्वारा दिए जाने वाले ठेकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए और ठेकेदारों को संदायों के बढ़ते परिमाण के कारण ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा ठेकेदारों को किए जाने वाले संदायों पर ऐसे व्यक्तियों से कर की कटौती करने की अपेक्षा की आवश्यकता है।

वास्तव में कठिनाईयां आएंगी यदि व्यक्तियों या अविभक्त हिन्दू कुटुंब को जिनका छोटा कारबार है या वृत्ति से समग्र प्राप्तियां यदि स्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है। ऐसे मामलों में किसी अपवाद का होना न्यायोचित है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति या अविभक्त हिन्दू कुटुंब के सदस्य द्वारा वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए दिए गए ठेकों में भी अपवर्जन के प्रयोजनों के लिए दम है।

तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि ऐसे किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को सम्मिलित करने के लिए है जिसके द्वारा किए गए कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा की जाती है या संदाय की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक है।

यह संशोधन यह भी प्रस्ताव करता है कि उक्त धारा (1) के उपबंध ठेकेदारों को किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य द्वारा उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए अनन्य रूप से किए गए सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 45]

धारा 194ज के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की दर में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि और भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उनके पीसीओ के विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय कमीशन से तदधीन स्रोत पर कर की कटौती से छूट

धारा 194ज के विद्यमान उपबंध कमीशन या दलाली के संदाय पर स्रोत से कर की कटौती की अपेक्षा करते हैं, कर की कटौती की यह दर पांच प्रतिशत है।

स्रोत पर कर की कटौती, अन्य कर प्रयोजनों के लिए बिल्कुल आरंभिक समय पर आय तक पहुंच बनाने के सुकर बनाती है। तथापि ऐसे आदाताओं के मामलों में जिनकी आय कराधेय सीमा से कम रही है, स्रोत पर कर की कटौती के परिणामस्वरूप केवल अनावश्यक कागजी कार्रवाई बढ़ती है। भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पब्लिक काल आफिस के विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति इस प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उन्हें कमीशन की बहुत कम रकम प्राप्त होती है और ऐसे मामले बहुत ही कम होंगे जहां आय छूट सीमा की अवसीमा से अधिक होगी।

अतः, प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उनके पब्लिक काल आफिस के विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय कमीशन या दलाली के संदायों पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की जाएगी।

ऐसे अनेक मामले सूचना में आए हैं, जहां कमीशन या दलाली प्राप्त करने वाले के मामले में कर आयतन, पांच प्रतिशत की दर से संगृहीत कर की रकम से काफी अधिक है। इसका परिणाम यह है कि या तो कर के संग्रहण में आस्थगन होता है या कुछ मामलों में आय बच जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए पांच प्रतिशत की विद्यमान दर को बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 46]

धारा 194-झ के अधीन किसी मशीनरी या संयंत्र के उपयोग के लिए किराये पर स्रोत पर कर की कटौती की दर में कमी

धारा 194-झ के विद्यमान उपबंध किसी निवासी को किराये के रूप में किसी आय का संदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर की कटौती का उपबंध करती है। धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से कम आवर्त रखने वाले व्यक्तियों और अविभक्त हिन्दू कुटुंबों से इस धारा के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं है। यदि आदाता कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है तो कर की कटौती की विद्यमान दर पंद्रह प्रतिशत और अन्य आदाताओं की दशा में बीस प्रतिशत है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किराया" स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।

कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित "किराया" की विद्यमान परिभाषा 13 जुलाई, 2006 से प्रवृत्त हुई है और इस परिभाषा में तीन नई मर्दों, अर्थात् मशीनरी, संयंत्र और उपस्कर पर किराये को अंतःस्थापित किया गया है। उपरोक्त संशोधन के पश्चात् इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मशीनरी, संयंत्र या अन्य उपस्कर के पट्टे या किराये पर लेने संबंधी संव्यवहारों में लाभ अंतर काफी कम होने के कारण 15% और 20% की विद्यमान दरों पर स्रोत पर कर कटौती के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में कर आदतन की बजाय कर की अधिक रकमों का संग्रहण हो रहा था।

तदनुसार, यह संशोधन किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए किराए के रूप में संदेय किसी आय की संबंध में दस प्रतिशत की निम्न दर पर स्रोत पर कर कटौती की दर को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करता है।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा

[खंड 47]

आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के अधीन टीडीएस की दर में वृद्धि

धारा 194ज की उपधारा(1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति से, किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीसों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों के रूप में संदेय किसी राशि के पांच प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करना अपेक्षित है।

वृत्तिक और तकनीकी विशेषज्ञों के विभिन्न मामलों में कर कटौती के संबंध में एकत्रित आंकड़ों ने यह दर्शित किया कि ऐसे मामलों में कर आपतन पांच प्रतिशत की विद्यमान दर से स्रोत पर कर की कटौती के रूप में संगृहीत कर की रकम से काफी अधिक है।

तदनुसार, यह संशोधन धारा 194ज के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए दस प्रतिशत की उच्चतर दर विनिर्दिष्ट करने का प्रस्ताव करता है। स्रोत पर कर की कटौती के लिए बढ़ी हुई दर वृत्तिक सेवाओं के लिए फीसों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों या स्वामित्व या धारा 28 के खंड (फक) में निदिष्ट किसी राशि के रूप में किसी राशि के संदाय को लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 48]

धारा 197 क से लोप की गई धारा 88ख के प्रतिनिर्देश का लोप करना

धारा 197 क की उपधारा (1ग) के विद्यमान उपबंधों में धारा 88 ख के प्रतिनिर्देश अंतर्विष्ट है, जिसका 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया गया था।

यह संशोधन उक्त उपधारा से लोप की गई धारा 88ख के प्रतिनिर्देश को हटाने के लिए है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 49]

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग के अधीन "खनन और खदान क्रिया" पद की परिभाषा

धारा 206 ग के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, किसी अनुज्ञप्तिधारक या पट्टाधारक से, उक्त धारा की उपधारा (1ग) की सारणी के स्तंभ(2) में विनिर्दिष्ट किसी खनन और खदान क्रिया" से संबंधित किसी अनुज्ञप्ति, संविदा या पट्टे के संबंध में स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए उपबंध करते हैं। स्रोत पर कर के संग्रहण की दर सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध "खनन और खदान क्रिया" पद की परिभाषा उपबंधित नहीं करते हैं। कुछ तबकों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि धारा में इस पद की परिभाषा न होने के कारण, इस पद में तेल की खोज और अनुषंगी सेवाओं को इसमें सम्मिलित माना जा रहा था और ऐसी खोज में लगे अनुज्ञप्तिधारी संगठित क्षेत्र में हैं, इसलिए टीसीएस के उपबंधों को लागू करना आशयित नहीं है।

तदनुसार संशोधन यह उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि धारा 206ग की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "खनन और खदान क्रिया" में खनिज तेल का खनन और खदान सम्मिलित नहीं होगा। स्पष्टीकरण 2 यह और स्पष्ट करता है कि स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए "खनिज तेल" में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 52]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का संवर्धन करने के लिए उपाय

धारा 35 की उपधारा 2 (क ख) के खंड (1) के अधीन भारत कटौती की और पांच वर्षों तक अनुज्ञात किया जाना

धारा 35 की उपधारा 2 (क ख) के खंड (1) के विद्यमान उपबंध किसी ऐसी कंपनी की दशा में जो जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में या बोर्ड द्वारा अधिसूचित औषधि, भेषजीय, इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, कम्प्यूटर, दूरसंचार उपस्कर, रसायन या किसी अन्य वस्तु या चीज के विनिर्माण का उत्पादन के कारबार में लगी है, विहित प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर वैज्ञानिक अनुसंधान (जो किसी भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं है) पर उपगत व्यय का डेढ़ गुणा के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात करते हैं। यह उपबंध 31 मार्च, 2007 के पश्चात कंपनी द्वारा उपगत किसी व्यय की बाबत लागू नहीं होगा और उस तारीख के पश्चात उपगत व्यय के लिए कोई भारत कटौती अनुज्ञेय नहीं है।

आम धारणा यह है कि अनुसंधान और विकास को अभी भी कुछ और वर्षों तक कुछ राजकोषीय सहायता की आवश्यकता है अतः उक्त उपधारा के खंड (5) का संशोधन पांच वर्ष की और अवधि के लिए, अर्थात् 31 मार्च, 2012 तक उपगत व्यय की बाबत, खंड (1) में निर्दिष्ट भारत कटौती अनुज्ञात करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा निर्धारण वर्ष 2012-2013 तक पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

सामाजिक आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए उपाय

राज्य पूलकृत वित्त एककों द्वारा जारी अधिसूचित बंधपत्रों पर ब्याज के लिए छूट

धारा 10 की उपधारा (15) के खंड (vii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी निर्गमित और सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर ब्याज आयकर से छूट प्राप्त है।

पूलकृत वित्त एकक शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पूलकृत वित्त विकास स्कीम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के निबंधानुसार ऋण प्रतिभूतियां निर्गमित करने के लिए स्थापित की गई हैं। उपधारा (15) के खंड (vii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध हो सके कि राज्य पूलकृत वित्त एकक द्वारा निर्गमित और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर ब्याज आयकर से छूट प्राप्त होगा। इस प्रयोजन के लिए राज्य पूलकृत वित्त एकक को ऐसे एकक के रूप में परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव है जो केन्द्रीय सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित पूलकृत वित्त विकास स्कीम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

वस्तु एक्सचेंजों द्वारा स्थापित अभिनिधानकर्ता संरक्षा निधि की कतिपय आयों के लिए छूट

धारा 10 के खंड-(23 ड क) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज और उसके सदस्यों से प्राप्त अभिदायों के रूप में संयुक्त: या पृथकतः भारत के मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों द्वारा स्थापित अधिसूचित विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की कोई आय आयकर से छूट प्राप्त है।

वस्तु विनिमयों द्वारा स्थापित विनिधानकर्ता संरक्षा निधि पर वैसी ही छूट विस्तारित करने की दृष्टि से धारा 10 में एक नया खंड-(23 ड ग) अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वस्तु एक्सचेंजों द्वारा प्राप्त अभिदायों और उसके सदस्यों से प्राप्त अभिदायों के रूप में संयुक्ततः या पृथकतः भारत में वस्तु एक्सचेंजों द्वारा स्थापित ऐसी विनिधानकर्ता संरक्षा निधि की कोई आय जिसे केन्द्रीय सरकार राजस्व में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। जैसा कि उक्त खंड-(23 ड क) के परन्तुक में वर्तमान में उपबंधित है नए खंड-(23 ड ग) में यह उपबंध करने के लिए

भी प्रस्ताव किया जाता है कि जहां निधि के नाम में कोई रकम जमा है और किसी पूर्व वर्ष के दौरान आय कर से प्रभारित नहीं है, वस्तु एक्सचेंज के साथ या तो पूर्णतः या भागतः बांटी जाती है तो इस प्रकार अंशभाजित रकम उस पूर्व वर्ष की आय समझी जाएगी जिसमें वह रकम इस प्रकार बांटी जाती है और तदनुसार, आयकर से प्रभार्य होगी। नए खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु एक्सचेंज" को परिभाषित करने का प्रस्ताव है जिससे "रजिस्ट्रीकृत संगम" का वही अर्थ हो सके जो इसका अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, खंड 2 की धारा 2 के खंड-(अ ज) में परिभाषित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। [खंड 6]

विनिर्दिष्ट कारबारों या उद्योगों से जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कतिपय आय के लिए छूट

धारा 10 के खंड (23चख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान के लिए निधियां लेने स्थापित जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की कोई आय कराराधान से छूट प्राप्त है। खंड (23चख) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में यथा उपबंधित "जोखिम पूंजी उपक्रम" की विद्यमान परिभाषा से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए तथा बोर्ड द्वारा राजपत्र में उस रूप में अधिसूचित किए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधियां) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी उपक्रम अभिप्रेत है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी छूट अब केवल विनिर्दिष्ट कारबारों या उद्योगों में लगे किसी जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की आय की बाबत उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए जोखिम पूंजी उपक्रम की पूर्वोक्त परिभाषा का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे ऐसी घरेलू कंपनी अभिप्रेत हो सके (जिसके शेर भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है और जो नैनो प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी, बीज अनुसंधान और विकास, भेषजीय सेक्टर में नए रासायनिक अस्तित्वों के अनुसंधान और विकास, जैव प्रौद्योगिकी, जैव ईंधन उत्पादन करने, या तीन हजार से अधिक की बैठने की क्षमता वाले संयुक्त होटल-सह-कन्वेंशन केन्द्र के निर्माण तथा प्रचालन के कारबार में लगी है या डेयरी उद्योग या कुक्कुट पालन उद्योग में लगी है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6]

धारा 80 झ क के अधीन कर फायदों के प्रयोजनों के लिए 'अवसंरचना सुविधा' की परिधि का विस्तार

अन्य बातों के साथ, धारा 80 झक अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन और रखरखाव में लगे उद्यम के लिए दस वर्षीय फायदे के लिए उपबंध करता है। धारा 80 झक की उपधारा (4) के खंड (ii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसा उद्यम जो कि किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने, प्रचालित करने और उसके रखरखाव के कारबार को चला रहा है; यदि वह उसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों को पूरा करता है, तो वह दस वर्ष के लिए लाभों की शत प्रतिशत कटौती के लिए पात्र है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का खंड (i) का स्पष्टीकरण "अवसंरचना सुविधा" पद को परिभाषित करता है जिसका अभिप्राय ऐसी सड़क से है जिसके अन्तर्गत पथकर मार्ग, पुल, रेल प्रणाली, आवासन या अन्य क्रियाकलापों, जो राजमार्ग परियोजना का अभिन्न भाग है, सहित राजमार्ग परियोजना है, जल प्रदाय परियोजना, जल उपचार पद्धति, सिंचाई परियोजना, स्वच्छता और मलवहन पद्धति, वायुपत्तन, अन्तर्देशीय जलमार्ग या अन्तर्देशीय पत्तन है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समुद्र में नौचालन चैनल अति जोखिम पूर्ण परियोजना (जिसमें भारी पूंजी विनिधान अन्तर्लित है) है और जिसकी पक्व अवधि भी लम्बी है, "अवसंरचना सुविधा" पद की परिधि को विस्तारित करने का प्रस्ताव है जिससे समुद्र में नौचालन चैनल को धारा 80 झक के अधीन दस वर्षीय कर फायदे के प्रयोजनों के लिए इसकी परिधि में सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

किसी जनन संयंत्र के पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार के लिए गठित किसी भारतीय कंपनी के उपक्रम द्वारा विद्युत पैदा करने या पारेषण या वितरण के लिए समय-सीमा का विस्तार

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक किसी उद्यम को जो अवसंरचना सुविधाओं, औद्योगिक पार्कों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों, विद्युत आदि पैदा करने और उसके वितरण के कार्य में लगा है, के लिए 10 वर्ष के कर फायदे का उपबंध करती है।

धारा 80 झक की उपधारा (4) का खंड (v) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध के अन्तर्गत किसी भारतीय कंपनी के स्वामित्वाधीन और विद्युत उत्पादन संयंत्र की पुनःनिर्माण या पुनरुद्धार के लिए स्थापित उपक्रम दस वर्ष के लिए कर फायदे का पात्र है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:-

- (क) ऐसी कंपनी बहुमत साम्य सहभागिता द्वारा 30.11.05 से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत पैदा करने वाले संयंत्र का स्वामित्व रखने वाली कंपनी के देनदारों के प्रतिभूति हितों को प्रवृत्त करने वाली कंपनियों द्वारा बनाई गई हो;
- (ख) ऐसी भारतीय कंपनी केन्द्रीय सरकार द्वारा 31.12.05 से पहले अधिसूचित की गई हो; और
- (ग) उपक्रम 31 मार्च, 2007 से पूर्व विद्युत पैदा करना या पारेषित करना या वितरित करना आरम्भ कर देता है।

विद्युत पैदा करने वाले संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए विद्युत पैदा करने या पारेषित करने या वितरित करने की समय सीमा को 1 वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2008 से पूर्व तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

किसी उपक्रम द्वारा क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने और इसका प्रचालन करने के मामले में कटौती

धारा 80 झक के विद्यमान उपबंध कतिपय ऐसे उपक्रमों या उद्यमों के लाभों और अभिलाभों के संबंध में 10 वर्ष के लिए शत-प्रतिशत कटौती का उपबंध करते हैं जो अवसंरचना सुविधा, औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास प्रचालन तथा अनुसंधान या विद्युत पैदा करने, वितरण करने या पारेषण आदि के कारबार में लगे हुए हैं। उक्त धारा 80 झक की उपधारा (4) ऐसी कटौती के लिए पात्र कार्यकलापों को विनिर्दिष्ट करती है।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गैस पाइपलाइनों पर सहायकी एलपीजी पर विद्यमान सहायकी का प्रतिस्थापन करने में समर्थ होगी। धारा 80 झक की उक्त उपधारा (4) में एक नया खंड (vi) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसके अंतर्गत पाइप लाइन और भंडारण सुविधाएं भी हैं, जो नेटवर्क का अभिन्न अंग है, बिछाने और उसके प्रचालन का कारबार करने वाला कोई उपक्रम, उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होगा यदि वह भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के किसी संघ या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्वाधीन है; उसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है; उसकी कुल पाइपलाइन क्षमता का एक-तिहाई निर्धारिती या किसी सहयुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य वाहक आधार पर प्रयोग के लिए उपलब्ध है; उसने 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् प्रचालन करना आरंभ किया है और ऐसी विहित अन्य शर्तों को पूरा करता है।

प्रस्तावित खंड (vi) के प्रयोजनों के लिए, “सहयुक्त व्यक्ति” पद को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कटौती, 15 वर्षों की अवधि में से जो उस वर्ष से आरम्भ होती है जिसमें कोई उपक्रम क्रास कंट्री प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाना और वितरण करना आरम्भ करता है, से 10 वर्षों की लगातार अवधि के लिए अनुज्ञात की जाएगी।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि कोई उपक्रम जो पुराने संयंत्र और मशीनरी (कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए) का पुर्ननिर्माण करके या विभाजित करके या नए कारबार को अंतरित करके बनाया जाता है, धारा 80 झक के अधीन उपरोक्त कटौती का पात्र नहीं होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे। [खंड 22]

धारा 80 झख (4) के अधीन कर फायदे के प्रयोजन के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए समय सीमा का विस्तार

धारा 80 झख की उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अपने शीतागार संयंत्र अथवा संयंत्रों का प्रचालन करने वाले किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में, ऐसे औद्योगिक उपक्रम से पांच निर्धारण वर्षों के लिए व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत और उसके पश्चात् अगले पांच निर्धारण वर्षों के लिए पच्चीस प्रतिशत (या किसी कंपनी की दशा में तीस प्रतिशत) कटौती के लिए पात्र हैं। यह कटौती आय-कर अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट मदों और चीजों, जिनका ऐसे औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्माण का उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए, नकारात्मक सूची के अध्ययधीन होगी।

जम्मू-कश्मीर ऐसे औद्योगिक विकास का संवर्धन करने के लिए, औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की सीमांत तारीख और राज्य में हकदार कारबार आरम्भ करने की तारीख को पांच और वर्षों अर्थात् 31.3.07 से 31.3.12 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा। [खंड 23]

विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों और कन्वेंशन केन्द्रों को कर छूट

2010 में देश द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने पर आने वाले आगंतुकों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में होटल के कमरे उपलब्ध कराने के लिए और कन्वेंशन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक नई धारा 80 झघ अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि विनिर्दिष्ट क्षेत्र में होटल और कन्वेंशन केन्द्रों के कारबार से से लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती का उपबंध किया जा सके।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल समग्र आय में होटल कारबार या कन्वेंशन केन्द्र का निर्माण करने, स्वामित्व और प्रचालन से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, ऐसे कारबार से प्राप्त लाभों और अभिलाभों की शतप्रतिशत कटौती, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ हो कर पांच क्रमिक वर्षों तक अनुज्ञात होगी।

यह और भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा ऐसे किसी भी उपक्रम पर लागू होगी जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का 1 अप्रैल 2007 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सन्निर्माण किया जाता है या कृत्य करना आरम्भ कर देता है या ऐसे कन्वेंशन केन्द्रों को जो 1 अप्रैल 2007 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर सन्निर्माण किया जाता है या कृत्य करना आरम्भ कर देता है। सन्निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन में लगा हुआ है तथा जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अवस्थित है।

प्रस्तावित नई धारा के अधीन कटौती के लिए उपक्रम द्वारा पूरा किए जाने वाली शर्तें विनिर्दिष्ट करने का भी प्रस्ताव है।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारिती की कुल आय की संगणना में, अध्याय 6क में अन्तर्विष्ट किसी अन्य धारा या धारा 10 कक के अधीन उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 80-झक की उपधारा (5) और उपधारा (8) से (11) में अंतर्विष्ट उपबंध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन पात्र कारबार को लागू होंगे।

प्रस्तावित नई धारा के प्रयोजनों के लिए “कन्वेंशन सेंटर्स”, “आरंभिक निर्धारण वर्ष”, “होटल” और “विनिर्दिष्ट क्षेत्र” पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा, तीन सितारा और चार सितारा प्रवर्ग का होगा और विनिर्दिष्ट क्षेत्र से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फरीदाबाद, गुडगांव, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले अभिप्रेत होंगे।

धारा 80-कग का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित धारा 80-झघ के अधीन तब तक कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी, जब तक कि निर्धारिती आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी फाइल न कर दे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 18 और खंड 24]

अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए उपाय

कतिपय मामलों में वितरित लाभों पर कर की दरों में वृद्धि

धारा 115ण की उपधारा (1) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि किसी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांशों के रूप में चाहे वे चालू लाभों में से हों या संचित लाभों में से, घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे "वितरित लाभ पर कर" भी कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा।

वितरित लाभों पर ऐसे कर की दर को साढ़े बारह प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

अध्याय 12-ड की धारा 115द की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि, ऐसी वितरित आय पर, किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, साढ़े बारह प्रतिशत और किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी। किसी साम्या उन्मुखी पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय पर कोई कर संदेय नहीं है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध भी किया जा सके कि जहां आय किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि द्वारा वितरित की गई है वहां ऐसी निधि ऐसी वितरित आय पर पच्चीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी। इस प्रयोजन के लिए धारा 115ण के पश्चात् स्पष्टीकरण में "द्रव्य बाजार परस्पर निधि" और "तरल निधि" की परिभाषाओं को उपबंधित करने का प्रस्ताव है। किसी द्रव्य बाजार पारस्परिक निधि या तरल निधि से भिन्न किसी निधि द्वारा वितरित आय पर कर की विद्यमान दरें वही बनी रहेंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 27, 28 और 29]

राजस्व कमियों को दूर करने के उपाय

विशेष आर्थिक ज़ोन में केवल नई इकाइयों के लिए कर फायदा

आय-कर अधिनियम की धारा 10कक यह उपबंध करती है कि किसी उद्यमी की, विशेष आर्थिक ज़ोन में स्थित उसकी इकाई से कुल आय की संगणना के लिए निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात होगी:

- पात्र कारबार के प्रारंभ होने के वर्ष से पांच क्रमिक निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार में किए गए निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का शतप्रतिशत;
- पांच और क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत और तत्पश्चात्;
- आगामी पांच क्रमिक निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे पूर्ववर्ष के जिसके संबंध में कटौती अनुज्ञात की जानी है, लाभ और हानि लेखा में विकलित और विनिर्दिष्ट रीति में कारबार के प्रयोजनों के लिए सृजित और उपयोग किए जाने वाले एक आरक्षित खाते में जमा लाभ के पचास प्रतिशत से अनधिक कोई रकम।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंधित है कि धारा 10कक किसी ऐसे उपक्रम को लागू है, जो ऐसी इकाई है, जिसने किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ किया है या आरंभ करता है या सेवाएं उपलब्ध कराता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेष आर्थिक ज़ोनों का आशय नए उद्योग और नए निवेश का संवर्धन करना है न कि कर रियायतों का फायदा लेने के लिए विद्यमान उद्योगों के स्थानांतरण को सुकर बनाना, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 10कक की उपधारा (4) को प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 कक ऐसे किसी उपक्रम को लागू होगी, जो ऐसी इकाई है, जो सभी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात:-

- उसने, किसी विशेष आर्थिक ज़ोन में 1 अप्रैल, 2006 को या इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन या सेवा उपलब्ध कराना आरंभ किया है या करता है;
- यह किसी पहले से विद्यमान कारबार के विभाजन या पुनःसंनिर्माण से नहीं बना है।
- यह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र के किसी नए कारबार को अंतरण किए जाने से नहीं बना है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि प्रस्तावित उपधारा (4) के खंड (ii) में उल्लिखित शर्तें किसी ऐसे उपक्रम, जो इकाई है, के संबंध में लागू नहीं होंगी, जो निर्धारित द्वारा किसी ऐसे उपक्रम के कारबार के, जो धारा 33ख में निर्दिष्ट है, उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनःस्थापन, पुनर्गठन या पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बना है।

एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करके यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 80झक की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध उक्त उपधारा (4) के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी होगा।

[खंड 7]

धारा 40 क (3) के उपबंधों को सुदृढ़ करना

धारा 40क की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि निर्धारित द्वारा उपगत कोई ऐसा व्यय, जिसकी बाबत बीस हजार रुपए से अधिक का संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए जाने से अन्यथा किया जाता है, ऐसे संदाय के बीस प्रतिशत तक की कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा को जहां संदाय इसके उपबंधों के उल्लंघन में किया गया था वहां व्यय के सौ प्रतिशत की कटौती के लिए उपबंध करते हुए वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। तत्पश्चात्, वित्त अधिनियम, 1995 ने कटौती ऐसे व्यय के जिसके प्रति संदाय इसके उपबंधों के उल्लंघन में किया गया था, बीस प्रतिशत तक निर्धारित करने के लिए 1 अप्रैल, 1996 से इस उपधारा का संशोधन किया था।

उक्त उपधारा के उपबंधों को प्रति-आदतन उपाय के रूप में कार्य करना था। सूचना में यह आया है कि सौ प्रतिशत कटौती को बीस प्रतिशत कटौती द्वारा प्रतिस्थापित करने से उपबंधों का भयपरतिकारी प्रभाव कम हुआ है। अतः भयपरतिकारी प्रभाव को पुनः दृढ़ करने के लिए धारा 40 क की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि इसके उपबंधों के उल्लंघन में किए गए संदायों की सौ प्रतिशत कटौती का उपबंध किया जा सके।

ऐसे अवसर आते हैं जब व्यय की कटौती का दावा किसी एक वर्ष में किया जाता है और ऐसे व्यय के प्रति संदाय, उक्त उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में किया जाता है। ऐसे मामलों में उक्त धारा का विद्यमान पहला परंतुक, ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसमें व्यय के प्रति संदाय करने का दायित्व उद्गत हुआ था, कुल आय की पुनःसंगणना करने का उपबंध करता है। ऐसी पुनः संगणना धारा 154 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञात है और ऐसी पुनः संगणना के संबंध में चार वर्ष की परिसीमा की गणना, उस वर्ष के, जिसमें धारा 40क की उपधारा (3) के उपबंधों के उल्लंघन में संदाय किया गया था, ठीक आगामी निर्धारण वर्ष के अंत से की जाती है। अनेक मामलों में, जब कोई उपचार उपलब्ध नहीं है, उल्लंघन चार वर्ष के अवसान पर सूचना में आता है। पूर्व निर्धारणों के सुधार से निर्धारिती को असुविधा होती है और विभाग की कागजी कार्यवाही में वृद्धि होती है। अतः, यह संशोधन किसी पूर्व वर्ष में कटौती की वर्तमान पद्धति को विधि के उल्लंघन में किए गए संदायों को किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में किसी ऐसे वर्ष के, जिसमें विधि के उल्लंघन में संदाय किया गया है, कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ मानते हुए समकालीन कटौती की सरलीकृत पद्धति द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। संदाय के वर्ष में आय को माने जाने की यह पद्धति निर्धारिती को, यह अभिपुष्टि करने के लिए कि उसकी विवरणी में कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य रूप में कथित हैं, विधि के अधीन विद्यमान अपेक्षा के निबंधनों में इस समझी गई आय की घोषित करने के लिए आबद्ध करती है।

यह और उपबंध किए जाने का भी प्रस्ताव है कि कोई नामंजुरी नहीं की जाएगी या किसी संदाय को कारबार अथवा वृत्ति का लाभ या अभिलाभ नहीं समझा जाएगा, यदि- (i) उपबंध बैंककारी सुविधा की प्रकृति और विस्तार, (ii) कारबार सामाजिकता प्रतिफलों, और (iii) अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में तथा ऐसी परिस्थितियों में जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट लिखतों से अन्यथा, बीस हजार रुपए से अधिक कोई संदाय किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2008-09 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

आय की विशिष्टियां छिपाने या आय की अशुद्ध विशिष्टियां देने के लिए शास्ति के संबंध में उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खण्ड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित किया गया है कि ऐसे मामले में जिसे उक्त उपधारा (1) का स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, अपवंचन किए जाने के लिए ईप्सित कर की रकम से निर्धारित कुल आय पर कर अभिप्रेत है।

उक्त स्पष्टीकरण 4 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में, जिसे उक्त स्पष्टीकरण 3 लागू होता है, जिसमें अपवंचन किए जाने के लिए ईप्सित कर की रकम से धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने से पूर्व अग्रिम कर, स्रोत से काटे गए कर, स्रोत से संगृहीत कर और संदत्त स्वः निर्धारित कर की रकम घटाकर निर्धारित कुल रकम पर कर अभिप्रेत होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 271 की उपधारा (1) के विद्यमान स्पष्टीकरण 5 में यह उपबंध है कि जहां धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान, निर्धारिती के बारे में पाया जाता है कि वह किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्ति कहा गया है) स्वामी है और निर्धारिती यह दावा करता है कि उसने ऐसी आस्तियां, —(i) ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए जिसका अंत तलाशी की तारीख से पूर्व ही हो गया है, किंतु ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी उक्त तारीख से पहले नहीं दी गई है या जहां ऐसी विवरणी उक्त तारीख से पहले दी गई है वहां ऐसी आय उसमें घोषित नहीं की गई है; या (ii) ऐसे किसी पूर्ववर्ष के लिए जिसका अंत तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् होना है, वहां इस बात के होते हुए भी कि उसने ऐसी आय तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में घोषित कर दी है, उसके बारे में, धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने अपनी आय की विशिष्टियां छिपाई है या ऐसी आय की गलत विशिष्टियां दी हैं। तथापि, यदि उसमें विहित कतिपय शर्तों को पूरा कर दिया जाता है तो शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी।

उक्त स्पष्टीकरण 5 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई थी वहां उस मामले में ही लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा और उन मामलों को लागू होगा जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 के पूर्व प्रारंभ की गई थी।

धारा 271 की उपधारा (1) में एक नया स्पष्टीकरण 5क अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई तलाशी के अनुक्रम में निर्धारिती—(i) किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज का (जिसे इस नए प्रस्तावित स्पष्टीकरण में इसके पश्चात् आस्तियां कहा गया है) स्वामी पाया जाता है और निर्धारिती यह दावा करता है कि ऐसी आस्तियां उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय का उपयोग (पूर्णतः या भागतः) करके अर्जित की गई है; या (ii) किसी लेखाबही या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई आय का स्वामी पाया जाता है और यह दावा करता है कि लेखाबही या अन्य दस्तावेजों या अन्य संव्यवहारों में ऐसी प्रविष्टि किसी पूर्ववर्ष के लिए उसकी आय (पूर्णतः या भागतः) प्रदर्शित करती है। जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है और ऐसे वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है तथा निर्धारिती ने विवरणी फाइल नहीं की है तब इस बात के होते हुए कि ऐसी आय तलाशी की तारीख को या उसके पश्चात् दी गई आय की किसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए अपनी आय की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसी आय की अशुद्ध विशिष्टियां दी हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2007-08 और पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए उन मामलों को लागू होगा जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की जाती है।

एक नई धारा 271कक भी अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे किसी मामले में, जहां तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन आरंभ की गई है, वहां निर्धारिती उसके द्वारा संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का, शास्ति के रूप में संदाय करेगा। तथापि, इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि निर्धारिती—(i) तलाशी के अनुक्रम में धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरण में अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और उस रीति को विनिर्दिष्ट करता है जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है; (ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न की गई थी; और (iii) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है। यह और उपबंध

करने का प्रस्ताव है कि धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय की बाबत निर्धारिती पर उद्गृहीत या अधिरोपित नहीं की जाएगी। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 274 और धारा 275 के उपबंध, जहां तक हो सके, प्रस्तावित नई धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह प्रस्तावित है कि अप्रकटित आय से अभिप्रेत है—(i) कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या लेखाबही में किसी प्रविष्टि या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों से, जो धारा 132 के अधीन तलाशी के दौरान पाए जाते हैं, प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे तलाशी की तारीख को या उससे पूर्व ऐसे पूर्ववर्ष के संबंध में सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित नहीं किया गया है; या तलाशी की तारीख से पूर्व मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अन्यथा प्रकट नहीं किया गया है; या (ii) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के संबंध में, सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों में अभिलिखित किसी व्यय की बाबत किसी प्रविष्टि द्वारा प्रदर्शित, पूर्णतः या भागतः विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की कोई आय, जिसे मिथ्या पाया जाता है और इस प्रकार नहीं पाया जाता यदि तलाशी न ली गई होती।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव है कि विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष से वह पूर्ववर्ष अभिप्रेत है, (i) जो तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त हो गया है किंतु उस वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख तलाशी की तारीख से पूर्व समाप्त नहीं हुई है और निर्धारिती ने उक्त तारीख से पूर्व पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी नहीं दी है ; या (ii) जिसमें तलाशी ली गई थी।

प्रस्तावित नई धारा 271ककक में शास्ति के उद्ग्रहण के विरुद्ध आयुक्त को अपील का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2007-08 तथा पश्चात्पूर्ती वर्षों के संबंध में उन मामलों को लागू होगा जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की जाती है।

[खंड 62, खण्ड 67, खण्ड 68]

प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण तथा अनुपालन प्रक्रियाएं

'निर्धारण अधिकारी' की परिभाषा और कतिपय अन्य आय-कर प्राधिकारियों की परिभाषा का स्पष्टीकारक संशोधन

धारा 2 के खंड (7क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन "निर्धारण अधिकारी" पद ऐसे सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या आय कर अधिकारी को सम्मिलित करने के लिए परिभाषित किया गया है, जिनमें धारा 120 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन जारी निदेशों या आदेशों के आधार पर सुसंगत अधिकारिता निहित है। ऐसा संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक, जिसे धारा 120 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन निदेश दिया जाता है, इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है या उसे समनुदेशित सभी या किन्ही कृत्यों का भी पालन कर सकता है। आय कर प्राधिकारी - "अपर आयुक्त" और "अपर निदेशक" उक्त परिभाषा में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए थे चूंकि "अपर आयुक्त" और "अपर निदेशक" क्रमशः उक्त धारा के खंड (28ग) और (28घ) के अधीन संयुक्त आयुक्त और संयुक्त निदेशक की परिभाषा में सम्मिलित किए गए थे।

"निर्धारण अधिकारी" पद के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से, उक्त खंड (7क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त खंड में अपर आयुक्त को सम्मिलित किया जा सके। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

"निर्धारण अधिकारी" पद के अर्थ को स्पष्ट करने की दृष्टि से, उक्त खंड (7क) का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव किया जाता है कि जिससे अपर निदेशक को उक्त खंड में सम्मिलित किया जा सके। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 1996 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा में खंड (झग) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "अपर आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन अपर आय-कर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाए। उक्त संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है। उक्त धारा में खण्ड (झघ) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है उससे यह उपबंध किया जा सके कि अपर निदेशक से धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन आय करके अपर निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1994 से प्रभावी होगा।

धन-कर अधिनियम में समान संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी के अन्तर्गत "अपर आयुक्त" और 'अपर निदेशक' भी हैं।

उक्त धारा में खंड (9ग) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "सहायक निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन सहायक आय-कर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाए। यह संशोधन भूतलक्षी रूप से अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगा।

[खंड 3 और 74]

विहित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन की शक्ति द्वारा कतिपय पूर्त और धार्मिक एककों की अधिसूचना की शक्ति का प्रतिस्थापन

धारा 10 के खंड (23ग) का उपखंड (iv) यह उपबंध करता है कि किसी निधि या ऐसे पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित संस्था की, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में निधि या संस्था के उद्देश्यों तथा संपूर्ण भारत या किन्हीं राज्यों में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित की जाए, की आय छूट प्राप्त होगी। धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (v) उपबंध करता है कि किसी न्यास (जिसमें कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है) लोक धार्मिक प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या लोक धार्मिक तथा पूर्त प्रयोजनों के लिए सम्पूर्णतः संस्था, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, को आय छूट प्राप्त होगी।

उक्त उपखंड (iv) तथा उपखंड (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी छूट उसमें निर्दिष्ट एककों को उपलब्ध होगी यदि उन्हें विहित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

पारिणामिक संशोधन धारा 10 के खंड (23ग) के दूसरे परन्तुक, नौवें परन्तुक तथा तेरहवें परन्तुक में प्रस्तावित किये जाते हैं जिससे उक्त उपखंडों के अधीन जारी अधिसूचना के अतिरिक्त उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके। पन्द्रहवें परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सभी आवेदन पत्र, जिनकी बाबत 1 जून, 2007

से पूर्व उक्त खंड (iv) या खंड (v) के अधीन कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, विहित प्राधिकारी को उस दिन अन्तरित हो जाएंगे और विहित प्राधिकारी उस प्रक्रम पर उन उपखंडों के अधीन अनुमोदन प्रदान करने के लिए ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करेगा जिस प्रक्रम पर वे (आवेदन) उस दिन थे।

पारिणामिक संशोधन का भी धारा 143 की उपधारा (3) के परन्तुक के उपखंड (ii) में प्रस्ताव किया गया है। पारिणामिक संशोधन का धारा 296 में प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध हो सके कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) के अधीन 1 जून, 2007 से पहले जारी अधिसूचनाएं विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसद के सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 6, 38 और 71]

पूर्त या धार्मिक न्यास अथवा संस्थाओं के लिए सृजन या स्थापना के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल करने की अपेक्षा को हटाना

धारा 12क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट का दावा करने हेतु, किसी पूर्त या धार्मिक न्यास या संस्था से इसके सृजन या स्थापना की तारीख से एक वर्ष के भीतर आयुक्त को विहित प्ररूप या विहित रीति में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत होना पड़ेगा। यह धारा यह भी उपबंध करती है कि जहां ऐसा आवेदन उपरोक्त अवधि के पश्चात किया जाता है, वहां आयुक्त ऐसे विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि आवेदन में विलम्ब पर्याप्त कारणों से हुआ। विलम्ब की ऐसी माफी पर धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, ऐसे न्यास के सृजन या संस्था की स्थापना की तारीख से ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू होंगे। तथापि आयुक्त के इस प्रकार संतुष्ट न होने पर, धारा 11 और धारा 12 के उपबंध केवल उस वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से लागू होंगे जिसमें आवेदन किया जाता है।

धारा 12क में संशोधन यह उपबंध करने के लिए प्रस्तावित है कि खण्ड (क) के उपबंध 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात किए गए आवेदन के संबंध में लागू नहीं होंगे।

धारा 12क को धारा 12क की उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित करके एक नया खण्ड (कक) अंतः स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध उस न्यास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होंगे जिसने जून, 2007 की पहली तारीख से पूर्व खण्ड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, जब तक कि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात विहित प्ररूप और विहित रीति में आयुक्त को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है तथा ऐसा न्यास या संस्था धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

धारा 12क में एक नई उपधारा (2) अंतः स्थापित करना भी प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात किया गया है वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध ऐसे न्यास या संस्था की उस वित्तीय वर्ष के जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए आय के संबंध में लागू होंगे। उपर्युक्त संशोधनों के माध्यम से, किसी न्यास या संस्था के लिए इसके सृजन या स्थापना के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा। इसके अलावा, आयुक्त की ऐसे आवेदन फाइल करने में हुए विलंब को माफ करके, पिछले वर्षों के लिए रजिस्ट्रीकरण करने की शक्ति को, हटाया जाएगा। तदनुसार, 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात फाइल किए गए आवेदनों के संबंध में, धारा 11 और धारा 12 के उपबंध उस वित्तीय वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष से लागू होंगे जिसमें आवेदन किया जाता है।

धारा 12क की उपधारा (1) के नए अंतःस्थापित किए गए खण्ड (कक) के अधीन न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित करने हेतु धारा 12क की उपधारा (1) और उप धारा (2) में भी पारिणामिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 8 और खण्ड 9]

जहां कोई निर्देश अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को किया जाता है वहां निर्धारण करने के लिए समय सीमा का विस्तारण

आय कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन उन मामलों में निर्धारण या पुनःनिर्धारण को पूरा करने के लिए निर्धारण अधिकारी के लिए वहां कोई अतिरिक्त समय उपलब्ध नहीं है जहां उपधारा 92गक के अधीन उसके द्वारा निर्देश अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को किया जाता है। चूंकि संवीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए समय सीमा उस मास के अन्त से एक वर्ष है। जिसमें विवरणी फाइल की गई थी, अन्तरण मूल्यांकन अधिकारियों को उनको निर्दिष्ट मामलों में अन्तरण मूल्यांकन की सार्थक संपरीक्षा करवाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है।

इस दृष्टि से कि अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी साथ ही निर्धारण अधिकारी अन्तरण मूल्यांकन की संपरीक्षा कराने तथा अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों वाले मामलों में निर्धारण कराने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त करे, उन मामलों में निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए धारा 153 और धारा 153ख में विनिर्दिष्ट समय सीमा वहां पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है जहां निर्देश अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को किया गया है।

ऐसे मामलों में पुनरीक्षित समय सीमा, पूर्वोत्तर धाराओं के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमाएं जो बारह मास तक बढ़ाई गई हो यह उपबंध करने के लिए यह और प्रस्ताव है कि निर्धारण/पुनर्निर्धारण करने के लिए नई कानूनी समय सीमा की समाप्ति से पूर्व अंतरण मूल्यांकन अधिकारी कम से कम दो मास पूर्व असन्निकट कीमत अवधारित करेगा।

धारा 92गक की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया गया है कि उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन आदेश के प्राप्त हो जाने पर निर्धारण अधिकारी अन्तरण मूल्यांकन द्वारा उपधारा (3) के अधीन अवधारित सन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय संगणित करने के लिए अग्रसर होगा धारा 92गक की उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर, निर्धारण अधिकारी अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन अवधारित असन्निकट कीमत के अनुरूप धारा 92ग की उपधारा (4) के अधीन निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने के लिए अग्रसर होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे या उन मामलों में भी लागू होंगे जहां अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश 1.7.2007 से पहले किया गया था परन्तु अन्तरण मूल्यांकन अधिकारी ने उक्त तारीख से पूर्व धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित नहीं किया था।

[खंड 25, 39, 40]

आय-कर प्राधिकारियों की अधिकारिता के संबंध में सुव्यवस्थीकारक उपबंध

धारा 120 की उपधारा (4) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं लिखित रूप में ऐसे आदेश जारी करने के लिए महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को सशक्त कर सकेगा कि यथास्थिति, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों या आयों या आय के वर्गों या मामलों के वर्गों की बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियां और संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक द्वारा प्रयोग की जा सकती है या समनुदेशित कृत्यों का पालन किया जा सकता है। जहां कोई आदेश इस खंड के अधीन किया जाता है, वहां इस अधिनियम किसी अन्य उपबंधों या तदधीन बनाए गए किसी नियम के प्रतिनिर्देश ऐसे संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के प्रतिनिर्देश समझे जाएंगे जिनके द्वारा ऐसे आदेश के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है या कृत्यों का पालन किया जाना है और संयुक्त आयुक्त के अनुमोदन या मंजूरी की अपेक्षा करने वाला इस अधिनियम का कोई उपबंध लागू नहीं होगा।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन भी अपर आयुक्त द्वारा किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 1994 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

यह उपबंध करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव किया है कि निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन अपर निदेशक द्वारा भी किया जा सकेगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 1996 से प्रभावी होगा।

[खंड 33]

उपाबंध रहित विवरणियों को सुकर बनाने के लिए नियम

धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंध किया जाता है कि आय की विवरणी तब तक न्युट्रिपूर्ण नहीं समझी जाएगी जब तक उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं कर दी जाती हैं। वित्त अधिनियम, 2006 ने उक्त उपधारा (9) में एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधन किया, जिसके द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्पष्टीकरण के खंड (क) से (च) में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को समाप्त करने की शक्ति दी गई। तथापि, उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अलावा, अन्य धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट आय-कर अधिनियम के अधीन फायदों या कटौतियों का दावा करने के लिए दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज भी संलग्न करना अपेक्षित है।

एक नई धारा 139ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों के लिए उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिनसे ऐसे दस्तावेज, वितरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा, जिन्हें इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन विवरणी के साथ अन्यथा प्रस्तुतिकरण अपेक्षित है। तथापि, मांग किए जाने पर उक्त दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र, संपरीक्षित रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेज निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

एक नई धारा 139घ को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के वर्ग या वर्गों के लिए यह उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी; इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत न किए जाने वाले दस्तावेज, विवरण, प्राप्ति, प्रमाणपत्र या संपरीक्षित रिपोर्ट, किन्तु जिन्हें मांग किए जाने पर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है; ऐसे कम्प्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में आय की विवरणी संप्रेषित की जा सकेगी।

परिणामतः धारा 295 की उपधारा (2) में नए खंड (डडखक) और (डडखख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति के संबंध में उपबंध करते हैं।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप में 1 जून, 2006 से प्रभावी होंगे।

चूंकि धारा 139 की उपधारा (9) के परंतुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों को नई धारा 139ग और धारा 139घ में सम्मिलित किया गया है, इसलिए धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के परंतुक का लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह संशोधन 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

[खंड 35, 36 और 70]

धारा 142(2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा से संबंधित उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

धारा 142 की उपधारा (2क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन यदि अपने समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर निर्धारण प्राधिकारी की, निर्धारिती की लेखाओं की प्रकृति और जटिलता का तथा राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को निदेश दे सकेगा कि वह धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित और इस निमित्त मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किसी लेखापाल से लेखाओं की संपरीक्षा कराए। लेखा परीक्षक इस निमित्त मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और विहित रूप में ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट फाइल करेगा जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत जिसमें ऐसी विशिष्टियां हों, जो विहित की जाएं तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां हों जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे। धारा 142 की उपधारा (2घ) में यह उपबंध है कि उपधारा (2क) के अधीन किसी संपरीक्षा के व्यय तथा उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक) मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा अवधारित किए जाएंगे और निर्धारिती द्वारा संदत्त किए जाएंगे तथा ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर निर्धारिती से उस रीति से वसूल किए जा सकेंगे जो कर के बकाया की वसूली के लिए अध्याय 17घ में उपबंधित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के उपबंधों का राजेश कुमार बनाम आय-कर उपायुक्त और अन्य [(287 आईटीआर 91 (2006)] के मामले में पुनर्विलोकन किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि निर्धारिती के लेखाओं की विशेष संपरीक्षा के लिए आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन निदेश प्रकृति में प्रशासनिक नहीं है और एक न्यायिकल्प आदेश है। अतः, उक्त उपबंधों के अधीन विशेष संपरीक्षा का आदेश देने के लिए कोई विनिश्चय करते समय अन्य बातों के साथ मनमानी को न्यूनीकृत करने के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त लागू किए जाने अपेक्षित हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह और संप्रेक्षण किया कि "लेखाओं की प्रकृति तथा जटिलता को ध्यान में रखते हुए" पद महत्वपूर्ण है और यदि

निर्धारिती को सूचना दी जाती है, तो वह यह दर्शित कर सकता है कि लेखाओं की प्रकृति वैसी नहीं है जैसी वह विशेष संपरीक्षक की नियुक्ति की अपेक्षा करें, और निर्धारिती यह और दर्शित कर सकता है कि जिसे निर्धारण अधिकारी जटिल समझता है, तथ्यतः, वह ऐसा नहीं है। इन कारणों से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 42 की उपधारा (2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा का आदेश देने के लिए विनिश्चय करने से पूर्व निर्धारिती को एक अवसर दिया जाना आवश्यक है। यह विवादक मैसर्स सहारा इन्डिया के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ आया। माननीय न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि राजेश कुमार और अन्य के मामले में विनिश्चय में विधि की सही स्थिति दिखाई नहीं देती है और तदनुसार विषय बृहत् खंड पीठ को निर्दिष्ट किया गया। न्यायालय ने यह भी निदेश दिया कि विशेष संपरीक्षा का निदेश देने वाला आदेश है, प्रवर्तन में रहेगा और निर्धारण कार्यवाहियां, यदि कोई हों, इस मामले में याचिका के परिणाम के अधीन रहते हुए जारी रहेंगी। बृहत् खंडपीठ का विनिश्चय प्रतीक्षित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन विशेष संपरीक्षा का आदेश देने से पूर्व निर्धारिती को सुनवाई का अवसर अनुज्ञात करने का कोई विधायी आशय नहीं है। तदनुसार आय-कर विभाग ने करदाता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना अनेक वर्षों से असंख्य विशेष संपरीक्षा के आदेश दिए हैं। जबकि ऐसे असंख्य मामलों को ध्यान में रखते हुए, जहां पूर्व में ऐसी संपरीक्षा का आदेश दिया गया है वहां उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का सादर पालन करते हुए, राजेश कुमार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुपात को प्रभावी करना साध्य नहीं है, भविष्यलक्षी रूप से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी लेखाओं को इस प्रकार संपरीक्षित कराने के लिए निर्धारिती को तब तक निदेश नहीं देगा जब तक निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

प्राकृतिक न्याय की अपेक्षा को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव है कि निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को लेखाओं की इस प्रकार संपरीक्षा कराने के लिए तब तक निदेश नहीं देगा जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। उक्त उपधारा (2घ) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा उपधारा (2क) के अधीन निर्धारिती को लेखाओं की संपरीक्षा कराने का कोई निदेश जारी किया जाता है, वहां ऐसी संपरीक्षा के या उससे अनुषंगी व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है) विहित किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा अवधारित किए जाएंगे और इस प्रकार अवधारित व्ययों का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 37]

तालाशी मामलों का निर्धारण-निर्धारण और पुनः निर्धारण के आदेशों का संयुक्त आयुक्त द्वारा अनुमोदन किया जाना

विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, निर्धारण और पुनःनिर्धारण करने के लिए निर्धारण हेतु अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

एक नई धारा 15घ को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संयुक्त आयुक्त से निम्न पंक्ति के किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना निर्धारण पुनःनिर्धारण का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे उपबंध को ऐसे पूर्व वर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 153क के खंड (ख) के अधीन पारित निर्धारण या पुनः निर्धारण के आदेशों को लागू किया जाए। यह और प्रस्ताव किया जाता है कि इस उपबंध को, ऐसे पूर्व वर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी, सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में धारा 153ख के खंड (ख) के अधीन पारित निर्धारण के आदेशों को लागू किया जाए। उक्त नई धारा के उपबंध धारा 153क में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में और धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 41]

धारा 172 के अधीन फाइल की गई विवरणियों के निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा उपबंधित करना

धारा 172 के उपबंध अनिवासियों के पोत परिवहन कारबार से संबंधित हैं, जो अन्य बातों के साथ, पोत के प्रस्थान से पूर्व या कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए पोत के प्रस्थान की तारीख से तीस दिन की अधिकतम अवधि के भीतर विवरणियां तैयार करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है। तथापि, उक्त धारा के अधीन उपबंध उसकी उपधारा (3) के अधीन दी गई विवरणी के संबंध में निर्धारण पूरा करने के लिए किसी समय सीमा का उपबंध नहीं करते हैं।

अतः, संशोधन यह उपबंध करने हेतु एक नई उपधारा (4क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है कि आय-कर का निर्धारण करने और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला कोई आदेश उक्त धारा के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें उपधारा (3) के अधीन विवरणी दी जाती है।

संशोधन उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का और प्रस्ताव करता है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उपधारा (3) के अधीन कोई विवरणी 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व दी जाती है वहां आय का निर्धारण करने और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला आदेश 31 दिसंबर, 2008 को या उसके पूर्व किया जाएगा। यह धारा 172 के अधीन सभी लंबित निर्धारणों को पूरा करने के लिए एक लंबी समय सीमा प्रदान करेगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 42]

ब्याज की संगणना के लिए पद्धति को प्रति वर्ष आधारित पद्धति से प्रति मास आधारित पद्धति बनाकर परिवर्तित करना

धारा 201 की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं की है या जो कटौती करने के पश्चात् अधिनियम के अधीन आदेश किए गए अनुसार कर का संदाय करने में असफल रहा है, ऐसे कर के कटौती योग्य बनने की तारीख से वास्तविक रूप में ऐसे कर का संदाय करने की तारीख तक ऐसे कर की रकम पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

दूसरी ओर आय-कर अधिनियम के अन्य उपबंधों, जो निर्धारिती से ब्याज प्रभारित करने से संबंधित हैं, अर्थात् धारा 220, 234क, 234ख और 234घ के अधीन निर्धारिती से प्रभार्य ब्याज की गणना ऐसी अवधि में, जिसके लिए ब्याज प्रभारित किया जाना है, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए की जाती है। धारा 234ग(1)(क)(i) के अधीन, उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति मास की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाता है। धारा 244क के, जिसके अधीन निर्धारितियों को प्रतिदायों पर ब्याज का संदाय किया जाता है, अधीन भी ब्याज की संगणना प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए की जाती है।

प्रति वर्ष आधार पर और प्रति मास आधार पर ब्याज की संगणना में अंतर, इन दो पद्धतियों के अधीन ब्याज की संगणना के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में निहित है। जब ब्याज की गणना प्रति वर्ष आधार पर की जाती है, तो किसी मास के भाग की अनदेखी की जाती है और जब ब्याज की संगणना प्रत्येक मास

या मास के लिए की जाती है, तो किसी मास के भाग को पूरा मास माना जाता है और संपूर्ण मास के लिए ब्याज की संगणना की जाती है। नियम 119क की विरचना में इस सिद्धांत का पालन किया गया है, जो वार्षिक या मासिक आधार पर ब्याज की संगणना के लिए प्रक्रिया का उपबंध करता है।

धारा 220(2), 234क, 234ख, 234ग, 234घ और 244क के व्यापक रूप से लागू उपबंधों के अधीन ब्याज प्रति मास आधार पर प्रभावी है। तदनुसार, संशोधन ब्याज की संगणना की पद्धति को धारा 132ख की उपधारा (4) के खंड(क), धारा 201 की उपधारा (1क), धारा 245घ की उपधारा (6क), आय-कर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 60(1)(क) और नियम 68क(3) और धन-कर अधिनियम की धारा 22छ की उपधारा (6क) के अधीन विद्यमान प्रति वर्ष आधार पर संगणना से प्रति मास आधार पर संगणना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है।

मासिक आधार पर ब्याज की संगणना करने की विधि में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए संदेय ब्याज के संबंध में लागू होंगे। 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व समाप्त होने वाली किसी अवधि के लिए, उपरोक्त वर्णित धाराओं के अधीन ब्याज वार्षिक आधार पर भारित या संदत रहना जारी रहेगा, जिन्हें संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, 31 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाली तथा उस तारीख के पश्चात् समाप्त होने वाली किसी अवधि के संबंध में उस तारीख के पश्चात् आने वाली ऐसी अवधि के भाग के संबंध में ऐसा ब्याज प्रति मास आधार पर संगणित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे।

[खंड 34, 50 और 55]

धारा 206ग (6क) के अधीन किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती ठहराने वाले आदेश के विरुद्ध अपील के अधिकार के लिए उपबंध

धारा 206ग की धारा (6क) के विद्यमान उपबंध संपूर्ण कर या उसके किसी भाग के संबंध में किसी व्यक्ति को कर संगृहीत करने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में उत्तरदायी समझते हैं, यदि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कर के संग्रहण में असफल रहता है या संग्रहण के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है। निर्धारण अधिकारी से ऐसे व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझने वाला आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है।

उपरोक्त उपधारा (6क) के उपबंधों के अनुसार जब कर किसी व्यक्ति से वसूलनीय होता है कर संग्रहण और उसके संदाय के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति का दायित्व हो जाता है। इसलिए, ऐसे व्यक्ति को उसे व्यतिक्रमी निर्धारिती समझने वाले निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने का हकदार होना चाहिए। धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित समान आदेश के विरुद्ध पहले से ही विद्यमान अपील के लिए उपबंध, जहां उस व्यक्ति को व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाता है, यदि वह सरकारी खाते में कर की कटौती करने में असफल रहता है या कटौती के पश्चात् कर का संदाय करने में असफल रहता है।

इसलिए, यह संशोधन धारा 246 की उपधारा (1) में एक नया खण्ड (जख) अंतःस्थापित करने का उपबंध करता है जिससे कि व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा गया कोई व्यक्ति आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर सके।

यह संशोधन धारा 246 में एक नई उपधारा (1ख) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे कि 1 अप्रैल, 2007 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2007 की पहली तारीख से पूर्व धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध व्यतिक्रमी निर्धारिती द्वारा फाइल की गई अपील, आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 246 की उपधारा (1) के नए खण्ड (जख) के अधीन फाइल की गई समझी जाएगी।

ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 62]

कर की कटौती के दायित्व से इंकार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपील का उपबंध

धारा 248 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंधित है कि जहां कोई व्यक्ति, जिसने ब्याज से भिन्न ऐसी किसी राशि की बाबत जो इस अधिनियम के अधीन प्रभावी है, धारा 195 और धारा 200 के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती की है और संदाय किया है और जो ऐसी कटौतियां करने के अपने दायित्व से इंकार करता है, यह घोषित किए जाने के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि वह ऐसी कटौती करने के दायित्व के अधीन नहीं है।

धारा 248 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन धारा 195 के अधीन ब्याज से भिन्न किसी आय पर कटौती योग्य कर ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिसके द्वारा आय संदेय है, और ऐसा व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के खाते में ऐसे कर का संदाय कर देने के पश्चात् यह दावा करता है कि ऐसी आय पर किसी कर की कटौती किया जाना अपेक्षित नहीं या वहां इस घोषणा के लिए आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा कि ऐसी आय पर कर कटौती योग्य नहीं था।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 63]

अपील के प्ररूप और परिसीमा का उपबंध: धारा 248 में किए गए संशोधन के पारिणामिक

धारा 249 की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन विभिन्न परिस्थितियों और ऐसी तारीखों का उपबंध जिनसे अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की गणना की जाएगी। उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां अपील किसी ऐसे कर के संबंध में है जिसकी कटौती धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन की गई है वहां अपील फाइल करने के लिए तीस दिन की गणना कर के संदाय की तारीख से की जाएगी।

धारा 248 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उस व्यक्ति द्वारा अपील करने का उपबंध किया जा सके, जिसने "कर के दायरे" ठहराव के अधीन अनिवासी की आय पर भारत में कर का संदाय करने के लिए कटौती योग्य कर का संदाय कर दिया है तथा जो कर का संदाय करने के दायित्व से इंकार करता है। परिणामस्वरूप, धारा 249 की उपधारा (2) के खण्ड (क) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 248 के अधीन अपील की जाती है, वहां विहित समय कर के संदाय की तारीख से संगणित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 64]

पूर्त संस्थाओं और निधियों के अनुमोदन से संबंधित उपबंध

धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं को संदान के संबंध में कटौतियां, दाता की कराधेय आय से उपलब्ध हैं। उक्त धारा निधियों के दो प्रवर्गों का उपबंध करती है पहली वह जो उपधारा (2) में वर्णित हैं और दूसरी वे निधियां जो उक्त धारा की उपधारा (5) के खण्ड (vi) के अधीन आयुक्त द्वारा अनुमोदित हैं।

वर्तमान में, धारा 253 के अधीन आयुक्त द्वारा धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदन खारिज किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसलिए, धारा 253 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे आयुक्त के ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करना अनुज्ञात किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 65]

अपील अधिकरण द्वारा रोक आदेश के लिए समय सीमा विहित करना

धारा 254 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अपील अधिकरण इसके समक्ष फाइल की गई अपील के संबंध में किसी कार्यवाही में रोक आदेश पारित कर सकता है। ऐसे मामलों में, अपील अधिकरण ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करता है। यदि अपील का उस अवधि के भीतर विनिश्चय नहीं की जाता जिसके लिए रोक आदेश जारी किया गया था, तो रोक आदेश रोक अवधि के अवसान के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगा।

धारा 254 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर और आवेदन के गुणागुण पर विचार करने के पश्चात् धारा 253 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में, ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा। अपील अधिकरण उस आदेश में विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि ऐसी अपील का निपटारा रोक आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो अपील अधिकरण निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण नहीं हुआ है, रोक की अवधि को विस्तारित कर सकेगा या ऐसी और अवधि या अवधियों के लिए रोक आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; किंतु आरंभिक रूप से अनुज्ञात अवधि और इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों का योग किसी भी दशा में तीन सौ पैसठ दिन से अधिक नहीं होगा और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि के भीतर उक्त अपील का निपटारा करेगा।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि अपील का निपटारा आरंभिक रूप से अनुज्ञात रोक की अवधि के भीतर या बाद में विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर इस प्रकार नहीं किया जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 66]

आय-कर अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियों में अभिगृही लेखाबहियां बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के संबंध में उपधारणा का स्पष्टीकरण

धारा 132 की उपधारा (4क) को विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध है कि जहां कोई लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में पायी जाती हैं या है, वहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज, धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज ऐसे व्यक्ति की हैं या उससे संबंधित हैं; ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु सत्य हैं; और हस्ताक्षर और ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रत्येक अन्य भाग, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है या उसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह माना जा सकता है कि वे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं या उसके हस्तलेख में हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख में हैं और स्टांपित, निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में यह माना जा सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से स्टांपित और निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है।

एक नई धारा 292ग अन्तःस्थापित की गई है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 132 की उपधारा (4क) में उपबंधित उपधारणा इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में की जा सकती है।

धन-कर अधिनियम में एक नई धारा 42घ अन्तःस्थापित करके समान संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 1975 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 69 और 84]

पुनरीक्षित समझौता स्कीम

आय-कर अधिनियम के अध्याय 19क में समझौता आयोग द्वारा मामले के समझौते से संबंधित उपबंध अन्तर्विष्ट है। किसी निर्धारिती का कर दायित्व अवधारित करते समय विलंब से बचने के उद्देश्य से, जो कि कार्यवाहियों की पुनरावृत्ति, मामले का निपटान करने में कानून समय सीमा के अभाव के कारण कारित हुआ और समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को सरल करने के उद्देश्य से आय-कर अधिनियम के उक्त अध्याय 19क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं—

(i) विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई निर्धारिती किसी आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपने मामले में कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर आयोग को आवेदन कर सकता है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 31 मई, 2007 के पश्चात् कोई निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समक्ष रहने के कार्यवाही लंबित रहने के दौरान ही आवेदन कर सकेगा। यह और कि निर्धारण कि निम्नलिखित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी निर्धारिती को आयोग के समक्ष आवेदन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(क) धारा 148 के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में निर्धारण/पुनःनिर्धारण कार्यवाहियां । इन कार्यवाहियों को उस तारीख से प्रारंभ हुआ माना जाएगा जिस तारीख से धारा 148 के अधीन सूचना जारी की गई थी;

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें धारा 132 के अधीन कोई तलाशी संचालित की गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की गई थी, से सुसंगत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से प्रत्येक छह निर्धारण वर्षों के लिए धारा 153क के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण कार्यवाहियां; और ऐसे व्यक्तियों की दशा में पूर्व वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी संचालित की गई या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की गई थी, के निर्धारण या पुनः निर्धारण के लिए कार्यवाहियां भी। ये कार्यवाहियां उस तारीख को प्रारंभ हुई मानी जाएंगी जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन अध्यक्षता की गई थी।

(ग) नए निर्धारण के लिए कार्यवाहियां जहां मूल निर्धारण धारा 254 के अधीन अपील अधिकरण द्वारा या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आयुक्त द्वारा अपास्त कर दिया गया था। ऐसी कार्यवाहियां उस तारीख से आरम्भ हुई मानी जाएंगी जिस तारीख से मूल निर्धारण को अपास्त करने वाला आदेश पारित किया गया था।

(ii) विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई आवेदन केवल तभी किया जा सकता है जब आवेदन में प्रकट की गई संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम 1 लाख रुपए से अधिक हो। इस सीमा को बढ़ा कर 3 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

- (iii) विद्यमान उपबंधों के अधीन, आवेदन में प्रकटित आय पर संदेय आय-कर का संदाय धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर कार्यवाही अनुज्ञात करने के पश्चात् करना होता है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसा कर, ब्याज सहित, यदि कोई हो, तो आवेदन करने की तारीख से पहले संदत्त किया जाएगा और ऐसे संदाय का सबूत आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि आवेदक निर्धारण अधिकारी को, आयोग के समक्ष आवेदन करने की तारीख को आवेदन की एक प्रति भेजेगा।
- (iv) विद्यमान उपबंधों के अधीन, आयोग किसी आवेदन की प्राप्ति पर आयुक्त से एक रिपोर्ट मंगाएगा। ऐसी रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को या अन्तर्वलित अन्वेषण की जटिलता को ध्यान में रखते हुए आयोग आवेदन को नामंजूर करने या उस पर कार्यवाही अनुज्ञात करने का आदेश करता है। विद्यमान उपबंधों को अधीन आवेदन को नामंजूर करने या कार्यवाही के लिए अनुज्ञात करने की कोई कानूनी सीमा नहीं है। तथापि, उस मास की समाप्ति से जिसमें ऐसा आवेदन किया गया था एक वर्ष की सुझाई गई अवधि का उपबंध किया गया है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि समझौता आयोग आवेदन की प्राप्ति के सात दिन के भीतर आवेदक को यह स्पष्ट करने के लिए सूचना जारी करेगा कि उसके आवेदन को स्वीकार क्यों किया जाए। तत्पश्चात् आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के भीतर समझौता आयोग आवेदन को नामंजूर करने के लिए या उस पर कार्यवाही अनुज्ञात करने के लिए आदेश पारित करेगा। किसी मामले में अन्तर्वलित अन्वेषण की जटिलता किसी आवेदन को मंजूर करने या नामंजूर करने का मापदंड नहीं होगी। और यह कि पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवेदन को मंजूर करने या नामंजूर करने का कोई आदेश नहीं किया जाता है तो आवेदन को कार्यवाही करने के लिए मंजूर किया गया समझा जाएगा। निम्नलिखित का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है—
- (क) 1 जून, 2007 से पहले किए गए आवेदन जो कि उस तारीख तक नामंजूर या कार्यवाही के लिए मंजूर किए जाने के लिए लम्बित हैं को कार्यवाही करने के लिए अनुज्ञात माना जाएगा, यदि, आवेदन में प्रकटित आय पर ब्याज सहित कर का संदाय 31 जुलाई, 2007 से या उससे पहले कर दिया जाता है। यदि पूर्वोक्त तारीख को या उससे पहले ऐसे कर और ब्याज का संदाय नहीं किया जाता है तो आवेदन को नामंजूर हुआ माना जाएगा;
- (ख) उन आवेदनों की बाबत जो 1 जून, 2007 को स्वीकार किए गए थे परन्तु समझौता आदेश उक्त तारीख से पहले पारित नहीं किया गया था, आवेदन में घोषित आय तथा उस पर ब्याज पर कर 31 जुलाई, 2007 को या उससे पहले संदत्त करना होगा। कर और ब्याज उन मामलों में भी इस तारीख तक संदत्त करना होगा, जिनमें आयुक्त ने उक्त तारीख से परे कर के संदाय के लिए या कोई विस्तारण या किस्त के लिए मंजूरी पहले दे दी है। यदि कर और ब्याज का संदाय 31 जुलाई, 2007 को या उससे पूर्व नहीं किया जाता है तो आवेदन पर आगे कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और आयोग के समक्ष कार्यवाहियां 31 जुलाई, 2007 को उपशमन हो जाएंगी।
- (v) यदि 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् किए गए आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की जाती है तो समझौता आयोग उस तारीख से 30 दिन के भीतर आयुक्त को एक सूचना जारी करेगा जिसको आवेदन प्राप्त किया गया था। ऊपर (iv) (क) में निर्दिष्ट आवेदनों की दशा में, यदि कर और ब्याज 31, जुलाई, 2007 से पहले संदत्त कर दिया गया है तो ऐसी सूचना 7 अगस्त, 2007 को या उससे पहले आयुक्त को जारी की जाएगी। आयुक्त उस तारीख से 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजेगा जिसको समझौता आयोग से सूचना उसके द्वारा प्राप्त की गई हो।
- (vi) आयोग की रिपोर्ट प्राप्त किए जाने पर, समझौता आयोग आवेदक और आयुक्त को रिपोर्ट की प्राप्ति तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर सुनेगा। यदि यह पाया जाता है कि आवेदन एक वैध आवेदन नहीं था, तो आयोग एक आदेश पारित करके ऐसे आवेदन को अवैध घोषित करेगा। किसी आवेदन को अवैध घोषित करने वाले आदेश की प्रति आवेदक और आयुक्त को भेजी जाएगी। यदि आवेदन अवैध घोषित किया जाता है तो आयोग के समक्ष कार्यवाहियां उपशमन हो जाएंगी। यदि आयुक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं भेजता है तो, आयोग आयुक्त की रिपोर्ट के बिना विषय में कार्यवाही कर सकेगा।
- (vii) तारीख 1.7.2007 से पहले किए गए तथा ऊपर (iv)(क) या (iv)(ख) में निर्दिष्ट ऐसे आवेदनों की बाबत जो, यथास्थिति, अवैध घोषित नहीं किए जाते हैं, कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो समझौता आयोग यदि, उसकी राय में ऐसा करना समीचीन है तो वह आयुक्त को ऐसी और जांच या अन्वेषण, जैसा वह ठीक समझे, करने के लिए या करवाने के लिए निदेश दे सकेगा। आयुक्त उस तारीख से 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसको समझौता आयोग से उसे संसूचना प्राप्त हो जाती है।
- (viii) आयोग, आयुक्त और आवेदक को, ऐसा अवसर देने के पश्चात् और आयुक्त और उसके साथ उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार करते हुए समझौता आदेश पारित करेगा। विद्यमान उपबंधों के अधीन समझौता आदेश करने की कोई समय सीमा नहीं है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयोग उस मास के अन्त से 9 मास के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें आवेदन प्राप्त किया गया था। समझौता आयोग, ऊपर खंड (iv)(क) या खंड (iv)(ख) में निर्दिष्ट आवेदनों की बाबत 31 मार्च, 2008 को या उससे पहले आदेश पारित करेगा।
- (ix) विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह उपबंध किया जाता है कि आयोग भारतीय दंड संहिता, आय-कर अधिनियम तथा किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम तथा किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा। यह प्रस्ताव है कि यह उपबंध किया जाए कि आयोग आय-कर अधिनियम और धन-कर से भिन्न किसी विधि के अधीन अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगा। तथापि, लंबित आवेदनों की बाबत, विद्यमान उपबंध बने रहेंगे।
- (x) विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंध किया जाता है कि आयोग, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो पूरी हो चुकी कार्यवाहियों को पुनः आरंभ कर सकेगा। ऐसी शक्ति को वापस लेने का प्रस्ताव किया जाता है। लंबित आवेदनों की बाबत आयोग को पूरी हो चुकी कार्यवाही को पुनः आरंभ करने की शक्ति नहीं होगी। जहां धारा 245 ग के अधीन कोई आवेदन, 1 जून, 2007 या उसके पश्चात् फाइल किया गया है।
- (xi) यह भी प्रस्ताव है कि 1.7.2007 को या उसके पश्चात् किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है या ऐसा आवेदन या उपरोक्त (iv) (क) में विनिर्दिष्ट किसी आवेदन को अविधिमान्य घोषित किया जाता है या ऊपर खंड (iv)(ख) में निर्दिष्ट आवेदन पर अगली कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात नहीं की जाती है या समझौता आदेश विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौता आदेश पारित नहीं किया जाता है तो आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा, और यथास्थिति ऐसा निर्धारण अधिकारी या अन्य आय-कर प्राधिकारी, जिसके समक्ष, आवेदन करते समय कार्यवाहियां लम्बित थीं, कार्यवाही पुनः आरंभ करेगा और उसे पूरी करेगा। निर्धारण अधिकारी को आवेदन द्वारा संदत्त कर और ब्याज के लिए प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा। ऐसी तारीख से, जिसको आयोग के समक्ष आवेदन किया गया था और उस तारीख तक, जिसको कार्यवाहियों का उपशमन हो गया था, की अवधि को निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए समय सीमा से अपवर्जित किया जाएगा।

- (xii) यह उपबन्ध करने के लिए यह भी प्रस्ताव किया गया है कि 1-6-2007 के पश्चात कोई निर्धारिती अपने जीवनकाल के दौरान केवल एक बार ही समझौते के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए ऐसा आवेदन जिसे स्वीकर नहीं किया गया था, तो उसे आवेदन के रूप में नहीं समझा जाएगा।
- (xiii) यह उपबन्ध करने का भी प्रस्ताव है कि "उपाध्यक्ष" की परिभाषा के अन्तर्गत किसी न्यायपीठ के सदस्यों में ज्येष्ठ सदस्य होगा, यदि न्यायपीठ में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता न्यायपीठ के सदस्यों में ज्येष्ठ सदस्य द्वारा की जा सकती है;
- (xiv) धन-कर अधिनियम के अध्याय 5क में समझौता आयोग द्वारा धन-कर मामले को सुलझाने के लिए वैसे ही उपबन्ध अन्तर्विष्ट हैं। धन-कर अधिनियम में भी वैसे ही संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
- (xv) ये संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होंगे।

[खंड 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61] और [खंड 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83]

प्रकीर्ण

ए.एस.ओ.एस.ए.आई-सचिवालय की आय के लिए छूट

धारा 10 का खण्ड (23 खखघ) यह उपबन्ध करता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन "ए.एस.ओ.एस.ए.आई.-सेक्रेटेरिएट" के रूप में रजिस्ट्रीकृत सेक्रेटेरिएट आफ एशियन आर्गेनाइजेशन ऑफ दि सुप्रीम आडिट इंस्टीट्यूशन के सचिवालय की 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत सात पूर्व वर्षों के लिए कोई आय, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एसओएसएआई का महासचिव है और इसका सचिवालय उसके कार्यालय से कृत्य करता है।

चूंकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ए.एस.ओ.एस.ए.आई. के महासचिव के रूप में पदावधि को और तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, उक्त खण्ड को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली तीन निर्धारण वर्षों की और अवधि के लिए उक्त छूट को बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2008-2009, वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की आय के लिए छूट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 की उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की किसी आय को छूट प्रदान करने के लिए धारा 10 में एक नया खण्ड (23 ख ख छ) अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई पब्लिक सेक्टर कंपनियों का समामेलन

धारा 72क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, समामेलक कंपनियों या कंपनी की संचयित हानि और अवक्षयनमोक का मुजरा समामेलित कंपनी के लाभ के के प्रति मुजरा किया जाएगा। वर्तमान में, औद्योगिक उपक्रम या पोत या होटल के स्वामित्व वाली कंपनी के किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन की दशा में यह फायदा उपलब्ध है। ऐसे फायदे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट बैंककारी कंपनी के किसी विनिर्दिष्ट बैंक में समामेलन के मामले में भी उपलब्ध है।

उक्त धारा की उपधारा (1) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि 72क के अधीन उपलब्ध संचित हानि और अवक्षयन मोक को अग्रनीत और मुजरा करने के फायदों को किसी वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से वैसे की कारबार में लगी हुई एक या अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियों से समामेलन को विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

अनुषंगी फायदा कर

अनुषंगी फायदा कर के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115 बख अनुषंगी फायदों और समझे गए अनुषंगी फायदों को परिभाषित करती है। धारा 115ब ख में यह उपबन्ध है कि "अनुषंगी फायदों" से, अन्य बातों के साथ, नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों की निजी यात्राओं के लिए प्रदान किया गया कोई विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा या कोई मुफ्त या रियायती टिकट और नियोजक द्वारा कर्मचारियों की किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में कोई अभिदाय अभिप्रेत है।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को अनुषंगी फायदा कर की परिधि के भीतर लाने की दृष्टि से धारा 115बख की उपधारा (1) में नया खंड(घ) अंतः स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे किसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिनके अंतर्गत पूर्व कर्मचारी भी हैं) मुफ्त या रियायती दर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए गए स्वेट साम्या शेयर "अनुषंगी फायदों" की परिधि के भीतर लाया जा सके।

प्रस्तावित खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति" और "स्वेट साम्या शेयर" पदों को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा 115 बख की उपधारा (2) में यह उपबन्ध है कि अनुषंगी फायदे नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को तभी प्रदान किए गए समझे जाएंगे जब नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति के अनुक्रम में मनोरंजन, आतिथ्य, सम्मेलन, विक्रय संवर्धन जिसके अंतर्गत प्रचार भी है, के प्रयोजनों के लिए कोई व्यय उपगत किया है या कोई संदाय किया है। धारा 115ख ख की उपधारा (2) के खंड (घ) का परंतुक प्रचार सहित विक्रय संवर्धन से विज्ञापन पर कतिपय व्यय को निर्दिष्ट करता है। परंतुक का खंड (v) संकेतों, कला संकर्म, चित्रकला, बैनर आदि के द्वारा विज्ञापन की कुछ मर्दों पर व्यय निर्दिष्ट करता है। उक्त परंतुक का खंड (vii) डाक्टरों को औषधियों या चिकित्सा उपकरणों के मुफ्त नमूनों के वितरण पर व्यय को ही निर्दिष्ट करता है।

ऐसे अपवादों के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाकर नियोजकों को अनुतोष देने के लिए धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (घ) के परंतुक के खंड (घ) का संशोधन और खंड (vii) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबन्ध किया जा सके कि उत्पादों के प्रदर्शन और उन्हें डाक्टरों सहित किसी भी व्यक्ति को किसी मद के नमूनों के मुफ्त या रियायती दर पर वितरण को अनुषंगी फायदों के मूल्यांकन के लिए "प्रचार सहित विक्रय संवर्धन" में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

धारा 115बग में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 115बख में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना की पद्धति को उपबंधित किया गया है।

धारा 115बग की उपधारा (1) में एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में वर्णित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेत साधारण शेयरों का कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किए जाने की तारीख को उचित बाजार मूल्य, जिसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में प्रतिभूति या शेयरों की बाबत संदत्त या उससे वसूल की गई रकम को घटा दिया गया हो, धारा 115बख की उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (घ) में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदे का मूल्य होगा।

“उचित बाजार मूल्य” पद को उस ढंग से, जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, अवधारित मूल्य के रूप में परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

धारा 115बख की उपधारा (1) में खंड (घ) के अंतः स्थापन के परिणामस्वरूप, धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (iii) के परंतुक का लोप करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जो यह उपबंध करता है कि किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को, प्रत्यक्षतः शेयर डिबेंचर या वारंटों का आबंटन करके या अप्रत्यक्षतः केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रस्थापित किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन मुफ्त या रियायती दर उपलब्ध कराए गए किसी फायदे का मूल्य धारा 17 के प्रयोजनों के लिए "परिलब्धि" नहीं है।

धारा 115बख की उपधारा (1) में खंड (ख क) के अंतःस्थापन के परिणामस्वरूप, जो धारा 115 ब ख की उपधारा (1) के खंड (छ) में निर्दिष्ट अनुषंगी प्रस्ताव फायदों के मूल्य के लिए उपबंध करता है, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि धारा 49 में एक नई उपधारा (2कख) अंतः स्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा की उक्त उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए, उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेत साम्या शेयरों के अर्जन की लागत, धारा 115 ब ग की उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (ख क) के अधीन मूल्य होगी, यदि ऐसे मूल्य को अनुषंगी फायदा कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए गणना के लिए गणना में लिया गया है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावित होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2008-2009 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10, 14, 30 और 31]

अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर के संदाय की नियत तारीख का आय पर अग्रिम कर की तारीखों का समायोजन

धारा 115बज यह उपबंध करती है कि ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो अपने वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करने का दायी है, उसका संदाय स्वयमेव करेगा।

धारा 115बज की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि वित्तीय वर्ष में धारा 115बग में निर्दिष्ट अनुषंगी फायदों पर संदेय अग्रिम कर की रकम प्रत्येक तिमाही में संदत्त या संदेय के मूल्य का तीस प्रतिशत होगा और ऐसे तिमाही के पश्चातवर्ती मास की 15 तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगी। तथापि, वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संदेय अग्रिम कर उक्त वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पूर्व संदेय होगा।

धारा 115बज की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर तीस प्रतिशत से कम है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, अनुषंगी फायदों के मूल्य के तीस प्रतिशत पर साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर की रकम ऐसी सभी कंपनियों द्वारा संदेय होगी, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार किस्तों में उसका संदाय करने के लिए दायी हैं। कंपनियां वित्तीय वर्ष की 15 जून को या उससे पूर्व ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत; 15 सितंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए पैंतालीस प्रतिशत; 15 दिसंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून; और 15 मार्च को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त रकम से घटाकर आए संपूर्ण रकम का संदाय करेंगी। सभी निर्धारिती (कंपनियों से भिन्न) जो वर्तमान अनुषंगी फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान तीन किस्तों में उसका संदाय करेंगे। ऐसे निर्धारिती वित्तीय वर्ष की 15 सितंबर को या उससे पूर्व ऐसे अग्रिम कर के तीस प्रतिशत; 15 दिसंबर को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्त में संदत्त रकम से घटाकर आए साठ प्रतिशत; और 15 मार्च को या उससे पूर्व, पूर्ववर्ती किस्तों में संदत्त किसी रकम से घटाकर आई संपूर्ण रकम का संदाय करेंगे।

उपधारा (2) के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप धारा 115बज की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या उससे कम संदाय किया गया है वहां वह उस रकम के, जिससे संदत्त अग्रिम कर प्रत्येक मास या ऐसे मास के भाग के लिए, नियत तारीख तक संदेय रकम से कम होता है, जिसके लिए कमी बनी रहती है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 32]

बैंककारी रोकड़ संव्यहार कर (बीसीटीटी)

बैंककारी रोकड़ संव्यहार (बीसीटीटी) कर के उपबंधों में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्थापनों का अपवर्जन और छूट सीमा का विस्तार

बैंककारी रोकड़ संव्यहार (बीसीटीटी) के विद्यमान उपबन्धों के अधीन जैसे कि वह वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट है। कराधेय बैंककारी संव्यहारों पर 0.1% की दर से (10 आधार बिंदु) कर उदग्रहीत किया जाता है। ऐसे बैंककारी संव्यहारों में - (i) व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के मामले में 25,000 रुपए से अधिक रोकड़ की निकासी (चाहे किसी भी माध्यम से) और अन्य कराधेय एककों के मामले में किसी एक दिवस को किसी अनुसूचित बैंक के किसी खाते से (बचत बैंक खाते से भिन्न); 1,00,000 रुपए और (ii) एक या अधिक आवधिक निक्षेपों, चाहे परिपक्वता या अन्यथा पर हों, के नकद भुगतान पर किसी एकल दिन को किसी अनुसूचित बैंक से विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक रोकड़ की प्राप्ति है। बी.सी.टी.टी. अन्य के साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यालय या स्थापन द्वारा भी संदेय है।

उक्त धारा का संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है जिससे "व्यक्ति" की परिभाषा की परिधि से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालयों और स्थापनों को अपवर्जित किया जा सके।

उक्त धारा का संशोधन करने के लिए यह भी प्रस्ताव है कि जिससे व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए कराधेय बैंकिंग संव्यहार की विद्यमान सीमा को वर्तमान में पच्चीस हजास से बढ़कर पचास हजार रुपए किया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2007 से प्रभावी होगा।

[खंड 34]